

भारत और हमारा पशु कल्याण बोर्ड।

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2016 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 23)

18 मई, 2023

[के. एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस,

ऋषिकेश रॉय और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960-पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017-पशु क्रूरता निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2017 -

पशु क्रूरता निवारण (कर्नाटक दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2017-आयोजित: तीनों राज्यों के संशोधन अधिनियमों द्वारा शुरू की गई जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अभिव्यक्तियों में उनके अभ्यास या प्रदर्शन के तरीके और वास्तविक स्थितियों में काफी बदलाव आया है।

ए. नागराजा का निर्णय दिए जाने के समय प्रबल होने की तुलना वर्तमान स्थिति से नहीं की जा सकती-उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता कि बदली हुई परिस्थितियों में,

बैलों को बिल्कुल कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी जाएगी।

इन खेलों का आयोजन करते समय-लेकिन न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि दर्द देने वाली प्रथाओं का बड़ा हिस्सा, जैसा कि वे संशोधन से पहले की अवधि में इन तीन खेलों के प्रदर्शन के तरीके में प्रचलित थे, इन वैधानिक प्रथाओं की शुरुआत से काफी हद तक कमजोर हो गए हैं।

उपकरण।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960-पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017-क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 17, सूची 3 के लिए सार और सार में संदर्भित है, या यह जानवरों के प्रति क्रूरता को आगे बढ़ाता है और बनाए रखता है; और इसलिए क्या इसे जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का उपाय कहा जा सकता है? क्या यह रंगीन कानून है जो किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं है

समवर्ती सूची की राज्य सूची या प्रविष्टि 17-आयोजित: तमिलनाडु संशोधन अधिनियम एक रंगीन कानून नहीं है-यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 से संबंधित है-

यह संबंधित खेलों में जानवरों के प्रति क्रूरता को कम करता है और एक बार संशोधन अधिनियम के साथ-साथ उनके खेलों में जानवरों के प्रति क्रूरता को भी कम करता है।

426 भारत और हमारा पशु कल्याण बोर्ड। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

नियम और अधिसूचना लागू की जाती है, गोजातीय खेल 1960 के अधिनियम की धारा 3,11 (1) (ए) और (एम) द्वारा दूर की जाने वाली शरारत के दायरे में नहीं आते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960-पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017-तमिलनाडु संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि यह तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए है।

संशोधन अधिनियम को तमिलनाडु राज्य के लोगों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा कहा जाए ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 का संरक्षण प्राप्त किया जा सके-आयोजित: जल्लीकट्टू एक प्रकार का गोजातीय खेल है-यह तमिलनाडु राज्य में कम से कम पिछली कुछ शताब्दियों से चल रहा है-लेकिन क्या यह तमिल संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है या नहीं, इसके लिए अधिक विस्तार से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विश्लेषण की आवश्यकता है, जो एक ऐसी कवायद है जिसे न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है-सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में ऐसा किया जाता है।

संशोधन अधिनियम किसी विशेष राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए है जो एक बहस योग्य मुद्दा है जिसे लोक सभा में समाप्त किया जाना चाहिए-यह न्यायिक जांच का हिस्सा नहीं होना चाहिए-इस प्रश्न को निर्णायक रूप से रिट कार्यवाही में निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधायी अभ्यास पहले ही किया जा चुका है और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा पाया गया है, इसलिए न्यायालय विधायिका के इस दृष्टिकोण को बाधित नहीं करेगा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960-पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017-क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, मूल रूप से, बैलों की देशी नस्ल के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए है? क्या यह अधिनियम, सार और सार में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 से संबंधित है-आयोजित: तमिलनाडु संशोधन अधिनियम ठोस और सारहीन नहीं है, ताकि बैलों की देशी नस्लों के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके-उक्त अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 से भी संबंधित नहीं है उक्त संशोधन अधिनियम का आकस्मिक प्रभाव हो सकता है

एक विशेष प्रकार के बैलों की नस्ल और कृषि गतिविधियों को प्रभावित करता है, लेकिन सार और सार में यह अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 से संबंधित है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960-पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017-क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 51ए (जी) के विपरीत है और 51ए (एच), और क्या इसे अनुचित कहा जा सकता है और [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन-आयोजित:

तमिलनाडु संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 51-ए (जी) और 51-ए (एच) के विपरीत नहीं है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

पशु क्रूरता (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 -

विवादित तमिलनाडु संशोधन अधिनियम के सीधे विपरीत

ए. नागराजा में निर्णय, और दिनांकित समीक्षा निर्णय 16.11.2016

उपरोक्त मामले में, और क्या दोषों में इंगित किया गया है

कहा जा सकता है कि उपरोक्त दो निर्णयों पर काबू पा लिया गया है

विवादित तमिलनाडु को अधिनियमित करके तमिलनाडु विधानमंडल

संशोधन अधिनियम-आयोजित: तमिलनाडु संशोधन अधिनियम को साथ में पढ़ा गया

ए. नागराजा के मामले में निर्णय और के निर्णय का अनुपात इस न्यायालय ने समीक्षा के लिए याचिका को खारिज करते हुए 16.11.2016 पर दिया

ए. नागराजा निर्णय के दोषों के रूप में

राज्य संशोधन अधिनियम द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों को उस संबंध में बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा गया है।

भारत का संविधान-कला। 48 - पशुओं के अधिकारों को मान्यता देना-भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के आधार पर जो अनिवार्य रूप से

कानून निर्माताओं के लिए एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश के रूप में काम करता है, एक दो-तरफा मार्ग तैयार किया गया है-पहला है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने के लिए राज्य पर कर्तव्य लागू करना - दूसरा कदम उठाने के लिए राज्य के कर्तव्य पर जोर दे रहा है

नस्लों का संरक्षण और सुधार और वध पर प्रतिबंध

गाय और बछड़े और अन्य दूध देने वाले और भार वहन करने वाले मवेशी।

निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. मौलिक अधिकार प्रदान करने के सवाल पर

जानवरों पर कोई मिसाल नहीं है। मामले में डिवीजन बेंच

ए. नागराजा ने यह भी नहीं बताया कि जानवरों के पास है मौलिक अधिकार। इसका परीक्षण करने के लिए एकमात्र उपकरण उपलब्ध है

प्रस्ताव पर तीन संशोधन अधिनियमों की व्याख्या कर रहा है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में तर्कसंगतता का अभाव।

एक नागरिक के विपरीत व्यक्ति, जो कि के अनुच्छेद 19 में मामला है संविधान, यह एक न्यायिक में उद्यम करने के लिए विवेकपूर्ण नहीं होगा

उक्त संरक्षित तंत्र के भीतर बैलों को लाने का साहस।

हमें इस बात पर संदेह है कि क्या भारत और भारत के पशु कल्याण बोर्ड से एक आवारा बैल को हिरासत में लिया जा रहा है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

अपनी इच्छा के खिलाफ सड़क बंदी प्रत्यक्षीकरण के संवैधानिक रिट को जन्म दे सकती है या नहीं।
ए. नागराजा के निर्णय में, जानवरों के वैधानिक अधिकारों के उन्नयन का प्रश्न

मौलिक अधिकारों को सलाहकार स्तर पर छोड़ दिया गया है या न्यायिक सुझाव के रूप में तैयार किया गया है। यह न्यायालय इससे आगे की पहल नहीं करना चाहता है और इस कवायद को उपयुक्त विधायी निकाय द्वारा विचार करने के लिए छोड़ देता है। यह अदालत अनुच्छेद नहीं सोचती है

14 संविधान का उपयोग किसी भी जानवर द्वारा एक व्यक्ति के रूप में भी किया जा सकता है। जबकि हम एक पशु कल्याण कानून के प्रावधानों का परीक्षण कर सकते हैं, वह एक इंसान या एक न्यायिक व्यक्ति के कहने पर होगा जो पशु कल्याण के कारण का समर्थन कर सकता है।

[पैरा 24] [464-बी-एफ]

2. इस प्रश्न पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, साक्ष्य पर किसी प्रकार का परीक्षण किया गया होगा आवश्यक है। यह तय करना भी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि क्या कोई विशेष

घटना या गतिविधि या अनुष्ठान किसी समुदाय या क्षेत्र की संस्कृति या परंपरा का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर एक लंबी परंपरा कानून के खिलाफ जाती है, तो कानून अदालतों को स्पष्ट रूप से कानून को लागू करना होगा। सीखा है। हालांकि, पक्षों की ओर से पेश वकील ने अपने-अपने रुख को सही ठहराने के लिए विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक साहित्य का हवाला दिया है। जनहित याचिकाओं में, इस न्यायालय ने उपलब्ध विश्वसनीय साहित्य द्वारा कुछ सामाजिक या आर्थिक स्थितियों की सराहना करने के लिए उचित परीक्षण पर जोर दिए बिना इस प्रकृति के विषयों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रथा विकसित की है। नागराज के मामले में पैराग्राफ 53 और 73 में, इस प्रथा के केंद्रीय कानून के प्रावधानों के लिए अपमानजनक होने के बारे में न्यायिक निर्धारण है। यह दोहराना सरल होगा कि किसी कानून के प्रावधानों को किसी पारंपरिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करता है कि प्रासंगिक समय पर जब ए. नागराजा के मामले में निर्णय दिया गया था, जिस तरह से जल्लीकट्टू का प्रदर्शन किया गया था, वह 1960 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन था और इसलिए इस तरह के खेलों का संचालन करना अस्वीकार्य था। [पैरा 27] [465-ए-डी]

3. तमिलनाडु संशोधन अधिनियम में इस आशय की शर्त है कि जल्लीकट्टू का संचालन ऐसे नियमों के अधीन और राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 38-बी नियम [2023] 7 एस. सी. आर. प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप राज्य की शक्ति बनाना

केंद्र सरकार। ये दोनों क़ानून अपने-अपने राज्यों में 1960 के अधिनियम का हिस्सा बन गए हैं और विशेष रूप से राज्यों को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं और नियम बनाए गए हैं। में। पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ऐसी परिस्थितियों में, हमारी राय है कि इन नियमों को उनकी उचित व्याख्या के लिए संशोधन अधिनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जहाँ तक कर्नाटक संशोधन अधिनियम का संबंध है

संबंधित है, संशोधन के बाद मुख्य अधिनियम में धारा 3 (2) को लागू करने के आधार पर कंबाला के संचालन में दो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये शर्तें अनावश्यक हैं।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अभ्यास। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के संशोधन अधिनियमों को पढ़ते समय हमने जो समानता व्यक्त की है, उसी समानता के बाद, हमारी राय में कर्नाटक राज्य द्वारा जारी अधिसूचना को नियम के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे संविधि के अभिन्न अंग के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि संशोधित किया गया है। इन नियमों और अधिसूचना को नहीं होना चाहिए याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच करते हुए उनके वास्तविक दायरे की सराहना करने के लिए संशोधन अधिनियमों से अलग किया गया कि संशोधन

उक्त नियमों और अधिसूचना से अलग विश्लेषण किए गए अधिनियम ए. नागराजा के मामले में इस न्यायालय के निष्कर्षों के विपरीत होंगे। [पैरा 29] [466-एफ-एच; 467-ए-सी]

4. तीनों राज्यों के संशोधन अधिनियमों द्वारा शुरू की गई अभिव्यक्तियाँ जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ हैं -

जिस तरह से उनका अभ्यास या प्रदर्शन किया जाता था और तथ्यात्मक स्थितियों में काफी बदलाव आया कि

ए. नागराजा द्वारा निर्णय दिए जाने के समय प्रचलित स्थिति की तुलना वर्तमान स्थिति से नहीं की जा सकती है। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि बदली हुई परिस्थितियों में, इन खेलों को आयोजित करते समय बैलों को कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन यह न्यायालय संतुष्ट है कि दर्द देने वाली प्रथाओं का बड़ा हिस्सा, जैसा कि वे संशोधन से पहले की अवधि में इन तीन खेलों के प्रदर्शन के तरीके में प्रचलित थे, इन वैधानिक उपकरणों की शुरुआत से काफी हद तक कमजोर हो गए हैं।

तर्क दिया गया था कि वास्तव में भारत और हमारा पशु कल्याण बोर्ड है। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

हो सकता है कि इन कल्याणकारी उपायों का पालन न किया जाए और जो व्यवस्था प्रचलित थी वह जारी रह सके। हालाँकि, यह न्यायालय इस धारणा पर न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है कि किसी कानून को उसके दुरुपयोग या अवज्ञा की आशंका पर निरस्त किया जाना चाहिए। तीनों गोजातीय खेल, संशोधन के बाद, अपने प्रदर्शन और अभ्यास में अलग-अलग चरित्र धारण करते हैं और इन कारणों से यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता है कि संशोधन अधिनियम केवल न्यायिक निर्णय को ओवरराइड करने के लिए कॉस्मेटिक परिवर्तन के साथ एक रंगीन कानून था। एक बार

संशोधित कानूनों को संबंधित नियमों या अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, यह न्यायालय उन्हें केंद्रीय विधान का अतिक्रमण करने के लिए नहीं पाता है। प्रत्यर्थियों ने अपने रुख का बचाव करने के लिए अधिकारियों के एक बड़े निकाय का हवाला दिया है कि ये रंगीन कानून के मामले नहीं हैं, लेकिन यह न्यायालय इन सभी निर्णयों को व्यक्तिगत रूप से संदर्भित करना आवश्यक नहीं मानता है क्योंकि यह न्यायालय विभिन्न वैधानिक विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। मैदान को ढकने वाले उपकरण। [पैरा 30] [467-डी-एच; 468-ए]

5. क्या संशोधन अधिनियमों को मनमाना होने के कारण निरस्त किया जा सकता है? ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस आधार पर कानूनों को अमान्य कर दिया गया है। जहाँ तक वर्तमान विवाद के विषय का संबंध है, बैल एक अलग प्रजाति बनाते हैं।

घोड़ों के विपरीत भार या पैक जानवरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। लेकिन यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने से इनकार करता है कि सिर्फ इसलिए कि बैलों में घोड़े की तरह दौड़ने की प्राकृतिक क्षमता की कमी है, विषय-खेल जो मौसमी रूप से आयोजित किए जाते हैं, उन्हें 1960 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत माना जाएगा। वास्तव में, की ओर से

उत्तरदाताओं ने यह तर्क दिया कि बैलों की इन शैलियों को विशेष रूप से पाला जाता है और उनमें दौड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है। इस मुद्दे पर विपरीत विचार हैं। लेकिन इस न्यायालय की राय में, इन बैल खेलों के संबंध में विधायिका द्वारा कोई तर्कहीन वर्गीकरण नहीं किया गया है ताकि इस शरारत को आकर्षित किया जा सके जो संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है। भारत का संविधान इसे रोकने का प्रयास करता है। विधायी अधिनियम की वैधता को अनुचित होने के आधार पर भी अस्वीकार किया जा सकता है। यहाँ अनुचितता का तत्व यह है कि इसमें शामिल गोजातीय प्रजातियों को मुख्य रूप से मनोरंजन के उद्देश्य से अनावश्यक पीड़ा और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 1960 का अधिनियम स्वयं कई गतिविधियों को वर्गीकृत करता है जो दर्द और

पीड़ा का कारण बनती हैं, यहां तक कि एक संवेदनशील जानवर के लिए भी। [पैरा 31] [468-ए-ई]
[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय ने संविधान में उन विधायी सूचियों को निर्धारित किया था।

इसकी व्याख्या व्यापक आयाम में की जानी चाहिए। 1960 का अधिनियम समग्र रूप से और तीन संशोधनों के विषय सीधे तौर पर संबंधित हैं।

विधायी निकाय। यह न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि तीन संशोधन अधिनियमों को परिणामी अधिनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। नियम या अधिसूचनाएँ। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, ये नियम, जिन्हें एक बार अधिनियमों का हिस्सा माना जाता है, इन खेलों के संचालन के तरीके को बदल देते हैं और एक बार इन प्रावधानों को लागू करने के बाद, 1960 के अधिनियम के उपरोक्त दो प्रावधानों (यानी धारा 3 और 11 (1) (ए) और (एम)) द्वारा दूर की जाने वाली शरारत को अब आकर्षित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, यह तर्क कि संशोधन अधिनियम अमान्य हैं

जारी रखा गया है। [पैरा 35] [470-जी-एच; 471-ए-बी] 8. जो पहले ही चर्चा की जा चुकी थी, उसके आलोक में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित में संदर्भित पाँच प्रश्नों का उत्तर दिया:

(i) तमिलनाडु संशोधन अधिनियम कोई रंगीन कानून नहीं है। यह सार और सार में, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 से संबंधित है। यह संबंधित खेलों में जानवरों के प्रति क्रूरता को कम करता है और एक बार संशोधन अधिनियम, उनके नियमों और अधिसूचना के साथ लागू हो जाने के बाद, उपरोक्त खेल इसके दायरे में नहीं आएंगे। 1960 के अधिनियम की धारा 3,11 (1) (ए) और (एम) द्वारा गड़बड़ी को दूर करने की मांग की गई।

भारत और हमारा पशु कल्याण बोर्ड। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

(ii) जल्लीकट्टू एक प्रकार का गोजातीय खेल है और यह न्यायालय पहले बताई गई सामग्री के आधार पर संतुष्ट है कि यह तमिलनाडु राज्य में कम से कम पिछली कुछ शताब्दियों से चल रहा है। इस आयोजन में अनिवार्य रूप से एक बैल शामिल होता है जिसे एक अखाड़े में मुक्त कर दिया जाता है और मानव प्रतिभागियों को "खेल" में स्कोर करने के लिए कूबड़ को पकड़ना होता है। लेकिन यह तमिल संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है या नहीं, इसके लिए अधिक विस्तार से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विश्लेषण की आवश्यकता है, जो एक ऐसी कवायद है जिसे न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु

संशोधन अधिनियम किसी विशेष राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए है जो एक बहस योग्य मुद्दा है जिसे लोक सभा में समाप्त किया जाना है। यह न्यायिक जांच का हिस्सा नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से विचाराधीन गतिविधि और याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं दोनों द्वारा उद्धृत ग्रंथों के रूप में सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न को रिट कार्यवाही में निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चूंकि विधायी अभ्यास पहले ही किया जा चुका है और जल्लीकट्टू को इसका हिस्सा पाया गया है

यह तमिलनाडु राज्य के लोगों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा नहीं है। इस न्यायालय को नहीं लगता कि पर्याप्त था इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए न्यायालय के समक्ष सामग्री। संशोधन अधिनियम की प्रस्तावना में जल्लीकट्टू को तमिलनाडु की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बताया गया है। ए. नागराजा के मामले में, डिवीजन बेंच ने सांस्कृतिक दृष्टिकोण पाया

जिस तरह से बैलों को दर्द और पीड़ा दी जाती है, उसका उल्लेख करते हुए खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह की गतिविधियों ने 1960 के अधिनियम की धारा 3 और 11 (1) (ए) और (एम) को आहत किया है। भले ही यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़े कि विधायिका यह निर्धारित करने के लिए राज्य की सबसे उपयुक्त शाखा है कि क्या

विशेष पशु-खेल किसी क्षेत्र या समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हैं या नहीं, यदि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम या परंपरा से कानून का उल्लंघन होता है, तो दंडात्मक परिणाम भुगतना होगा। ऐसी गतिविधियाँ नहीं हो सकतीं।

राज्य। ए. नागराजा में, प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए खेल आयोजित किए गए थे इसका अभ्यास करने के तरीके के कारण 1960 के अधिनियम की धारा 3 और 11 (1) (ए) और (एम)। संशोधन अधिनियम को नियम [2023] 7 एस. सी. आर. के साथ पढ़ा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रपति की सहमति, इस न्यायालय को नहीं लगता कि राज्य की कार्रवाई में कोई त्रुटि है। “ जल्लीकट्टू ”के रूप में गोजातीय खेलों को पहले के अभ्यास के तरीके से अलग करना होगा और तमिलनाडु नियमों के अनुसार, खेलों का आयोजन करने की अनुमति होगी।

(iii) तमिलनाडु संशोधन अधिनियम बैल की देशी नस्लों के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सारहीन नहीं है। उक्त अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 से भी संबंधित नहीं है। उक्त संशोधन अधिनियम का आकस्मिक प्रभाव किसी विशेष प्रकार के बैल की नस्ल पर पड़ सकता है और प्रभावित कर सकता है

कृषि गतिविधियाँ, लेकिन सार और सार में यह अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 से संबंधित है।

(iv) इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। तमिलनाडु संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 51-ए के विपरीत नहीं है।

(छ) और 51-ए (एच) और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। (v) तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, जिसे उस संबंध में बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाता है, सीधे तौर पर इन अनुपात के विपरीत नहीं है -

ए. नागराजा के मामले में निर्णय और 16 नवंबर 2016 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले ने याचिका को खारिज कर दिया

9. तमिलनाडु संशोधन अधिनियम पर इस न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी मार्गदर्शन करेगा। संशोधन अधिनियम और यह न्यायालय तीनों संशोधन अधिनियमों को वैध विधान मानता है। [पैरा 41] [475-बी-सी]

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम। ए. नागराजा और अन्य (2014) 7 एससीसी 547: [2014] 6 एस. सी. आर. 646; ग्राम जमालपुर की ग्राम पंचायत बनाम। मालविंदर सिंह और

अन्य (1985) 3 एस. सी. सी. 661: [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 28; होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम।

भारत और हमारे पशु कल्याण बोर्ड की स्थिति। भारत संघ और ए. एन. आर.

बिहार और अन्य (1983) 4 एस. सी. सी. 45 [1983] 3 एस. सी. आर. 130; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य-बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 283 [1970] 1 एस. सी. आर. 388; भुवनेश्वर सिंह और एक अन्य-बनाम-भारत संघ और अन्य (1994) 6 एस. सी. सी. 77: [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 639; इंद्रा साहनी-बनाम भारत संघ और अन्य (2000) 1 एस. सी. सी. 168: [1999] 5 पूरक। एससीआर 229; अमरेंद्र कुमार महापात्रा और अन्य-बनाम-उड़ीसा राज्य और अन्य (2014) 4 एससीसी 583 [2014] 2 एससीआर 1031; एमपी राज्य। - बनाम-महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड और अन्य 1995 सप्लीमेंट (1) एससीसी 642: [1995] 1 एस. सी. आर. 756; डी. सी. वाधवा डी. आर. और अन्य-बनाम बिहार राज्य और अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 378: [1987] 1 एससीआर 798; श्री श्री के. सी. गजपति नारायण देव-बनाम

उड़ीसा राज्य [1954] एस. सी. आर. 1; एस. एस. बोला और अन्य बनाम बी. डी. सरदाना और अन्य (1997) 8 एस. सी. सी. 522: [1997] 2 पूरक। एस. सी. आर. 507; तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य और एक अन्य (2014) 12 एस. सी. सी. 696: [2014] 12 एससीआर 875; मदन मोहन पाठक और एक अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य (1978) 2 एस. सी. सी. 50: [1978] 3 एस. सी. आर. 334; राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन

फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य-बनाम-भारत संघ और अन्य (2003) 5 एस. सी. सी. 23: [2003] 3 एस. सी. आर. 1; पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 [(2017) 1 एस. सी. सी. 121 [2016] 11 एस. सी. आर. 15; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 5 एस. सी. सी. 29 536: [1996] 10 पूरक। एससीआर 585; एस. टी. सादिक बनाम केरल राज्य और अन्य (2015) 4 एस. सी. सी. 400 [2015] 3 एस. सी. आर. 287; ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और दूसरा (1988) 2 एस. सी. सी. 602: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 1; मेनका गांधी बनाम भारत संघ और दूसरा (1978) 1 एस. सी. सी. 248 [1978] 2 एस. सी. आर. 621; सरकार के मुख्य सचिव, चेन्नई, तमिलनाडु और अन्य-बनाम पशु कल्याण बोर्ड और दूसरा (2017) 2 एस. सी. सी. 144: [2016] 8 एस. सी. आर. 477; रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और एक अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 388: [2002] 2 एस. सी. आर. 1006; बिहार राज्य और अन्य बनाम भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी

और अन्य (1997) 8 एस. सी. सी. 360: [1997] 4 पूरक। एस. सी. आर. 222; एम. करुणानिधि-बनाम-भारत संघ और एक अन्य [2023] 7 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1979) 3 एससीसी 431: [1979] 3 एससीआर 254; के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य-बनाम-कर्नाटक राज्य (2011) 9 एस. सी. सी. 1: [2011] 13 एस. सी. आर. 636; शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और एक अन्य-पुष्पेंद्र कुमार और

(2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन उत्तर 645; सौरभ चौधरी और अन्य-बनाम-भारत संघ और अन्य (2003) 11 एस. सी. सी. [2003] 5 पूरक। एससीआर 152; आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य-बनाम-एल. वी. ए. दीक्षितुलु और अन्य

(1979) 2 एससीसी 34: [1979] 1 एस. सी. आर. 26; वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड और एक अन्य-बनाम-पंजाब राज्य और दूसरा (1990) 3 एस. सी. सी. 87: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 731; अशोक कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1997) 5 एस. सी. सी. 201: [1997] 3 एस. सी. आर. 269; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य-बनाम-बाबू राम उपाध्याय (1961) 2 एससीआर 679; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और एक अन्य-बनाम-भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एससीसी 343: [1992] 1 एस. सी. आर. 406; राजस्थान राज्य-बनाम-श्री जी. चावला और डॉ. पोहुमल (1959) पूरक (1) एस. सी. आर. 904;

ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड और अन्य-बनाम

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1980) 4 एस. सी. सी. 136: [1980] 3 एससीआर 331; फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आदि-बनाम-भारतीय संघ और अन्य (1989) 3 एस. सी. सी. 634: [1989] 2 एससीआर 918; स्टेट ऑफ ए. पी. एंड अदर्स-बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी एंड अदर्स (1996) 3 एस. सी. सी. 709: [1996] 3 एस. सी. आर. 721; स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. - बनाम-केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2004) 10 एस. सी. सी. 201 [2004] 1 एस. सी. आर. 564; आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 750 [1976] 3 एस. सी. आर. 237; टी. एन. गोडवर्मन

तिरुमुलपद-बनाम-भारत संघ और अन्य (2012) 4

एससीसी 362: [2012] 1 एस. सी. आर. 923; पर्यावरण कानून केंद्र, वर्ल्ड वाइड फंड-भारत बनाम भारत संघ और भारत और ओ. आर. एस. का पशु कल्याण बोर्ड।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 234: [2013] 6 एससीआर 757; एन. आर.

नायर और अन्य-बनाम-भारत संघ और अन्य (2001)

6 एससीसी 84: [2001] 3 एससीआर 353; ई. पी. रोयप्पा-बनाम-राज्य

तमिलनाडु और एक अन्य (1974) 4 एस. सी. सी. 3: [1974] 2 एस. सी. आर. 348; अजय हसिया और अन्य-बनाम-खालिद मुजीब

एससीआर 79; जोसेफ शाइन-बनाम-भारत संघ (2018) 2 एस. सी. सी. 189-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 6 एससीआर 646

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1985] 2 पूरक। एससीआर 28

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1983] 3 एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1970] 1 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 239

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

[1999] 5 पूरक। एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2014] 2 एससीआर 1031

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1995] 1 एससीआर 756

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1987] 1 एससीआर 798

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1954] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1997] 2 पूरक। एससीआर 507

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2014] 12 एससीआर 875

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1978] 3 एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2003] 3 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2016] 11 एससीआर 15

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2015] 3 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1988] 1 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1978] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 [2023] 7 एस. सी. :

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2016] 8 एससीआर 477

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2002] 2 एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1997] 4 पूरक। एससीआर 222

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2011] 13 एससीआर 636

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[1998] 3 एससीआर 432

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[1995] 6 पूरक। एससीआर 178

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[1983] 2 एससीआर 287

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[2017] 9 एससीआर 797

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2003] 5 पूरक। एससीआर 152

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1979] 1 एससीआर 26

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1989] 2 पूरक। एससीआर 731

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 एससीआर 269

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1961] 2 एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[1992] 1 एससीआर 406

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

[1959] पूरक (1) एस. सी. आर. 904

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

[1980] 3 एससीआर 331

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[1989] 2 एससीआर 918

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[1996] 3 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2004] 1 एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[1976] 3 एससीआर 237

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

[2012] 1 एस. सी. आर 923

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2013] 6 एससीआर 757

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2001] 3 एससीआर 353

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[1974] 2 एससीआर 348

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

(2018) 2 एससीसी 189

पैरा 37

भारत और भारत के पशु कल्याण बोर्ड को संदर्भित किया जाता है। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

नागरिक मूल न्यायिक: लिखित याचिका (सिविल) सं।

23 2016 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ

लिखित याचिका (सिविल) सं। 6 , 10 2018 की सिविल अपील संख्या 2023 की 3849, रिट याचिका (सिविल) संख्या। 1193 2017 का, 2018 का 1152, 2016 का 24, 25, 26, 27, 88, 2017 का 1011, 1059, 1188, 2021 का हस्तांतरित मामला संख्या 60।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., निखिल गोयल, ए. ए. जी., एस. नागमुथु, वी. गिरि, मुकुल रोहतगी, कृष्णन वेणुगोपाल, सिद्धार्थ लूथरा, डॉ. मनीष सिंघवी, श्याम दीवान, आनंद ग्रोवर, एन. आर. एलंगो, वी. के. खन्ना, सुश्री महालक्ष्मी पवनी, कपिल सिब्बल, राकेश द्विवेदी, कोमल मेहता, जयंत मुथ राज, नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. परमशिवम, वाई. अरुणगिरी, एम. पी. परमशिवम, राकेश के. शर्मा, ए. एस. वैरावन शिवा, आर. सुधाकरन, जी. आर. विकास, सुश्री शालिनी मिश्रा, डी. सुब्रमण्य भानू, पी. आर. कोविलन पूंगकुंनन, सुश्री गीता कोविलन, सुश्री जुबली मोमालिया, सुमित अत्री, रितु आनंद विश्वकर्मा, सुश्री ईशा दत्ता, विवेक कुमार, मैसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास, डी. कुमानन, शेख एफ. कालिया, सुश्री अनुषा नागराजन अय्यर, सुश्री रूपाली समूल, सुश्री ऋषभ देवन पारिख, सुश्री सुबोध एस. पाटिल, अजय सिंह, लोकेश कुमार चौधरी, राम कुमार, सुश्री सुप्रिया देशपांडे, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, कृष्णन अग्रवाल, सुश्री दीपांशी इशर, सुश्री पल्लवी श्रीवास्तव, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, आसिफ अहमद, अक्षत कुमार, सुश्री मनस्विनी जैन, अभ्युदय शीशोदिया, करणवीर गोगिया, कुशाग्र रघुवंशी, आयुष कौशिक, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री करिश्मा मारिया, बालेन्दु

पाटिल, जियो जोसेफ, रिस्वी मुहम्मद, दुर्गेश गुप्ता, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, सुदिप्तो सरकार, सुश्री रिया सिंह साहनी, सौरभ चौधरी, सुश्री.

अरुणिमा केडिया, सुश्री ऐनी मैथ्यू, पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, वाई. लोकेश, वी. सिबी कारगिल, वी. कंधा प्रभु, एल. आर. वेंकटेशन, सुश्री मैत्री गोल, सुश्री प्रियंका चौधरी, हेमंत कुमार निरंजन, सचिन कुमार वर्मा, सुश्री याकीन बिशोयी, सत्यम थरेजा, सुश्री वर्णिका सिंह, सुश्री दीक्षा अग्रवाल, प्रतीक कुंडू, रोहिन भट्ट, राहुल कुमार, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, सुश्री मनीषा टी. करिया, [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदर्श कुमार, आदित्य केसर, सुश्री निधि नागपाल, विक्रम चंद्रवंशी, डॉ. आर. आर. देशपांडे, अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री सौश्रीया हवेलिया, सुश्री तन्वी आनंद, आनंद दिलीप लैंडगे, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, सुश्री निहारिका देवीवेदी, सुश्री श्वेता सैड, नरेंद्र पाल शर्मा, अनुभव गुप्ता, सी. एम. झा, अनिल कुमार मिश्रा-I, अनिल कुमार मिश्रा, एम. योगेश कन्ना, मयिल सामी के., जी. आनंदसेल्वम, डॉ. राम शंकर, डॉ. गायत्री ए. एस.

कुमारन, के. मुथु गणेशा पांडियन, कबीलन मनोहरन, के. विजय आनंद, वी. पावेल, ए. शांताकुमारन, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री पुष्पिता बसक, सुश्री प्रियंका चौधरी, बिजन कुमार घोष, रवींद्र केशवराव अदसुरे, गोपाल बलवंत साठे, यश प्रशांत सोनावने, सुश्री साक्षी अजीत काले, रोहन दरादे, वी. एन. रघुपति, आदित्य रॉय,

पौलोस, कबीर हाथी, सुश्री जेसल वाही, आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, सूरज कौशिक, नंदा कुमार के. बी., शिव स्वरूप, मेसर्स। नुली और नुली, रंजीत मरार, प्रभुरामा सुब्रमण्यम, रघुनाथ सेतुपति बी, करुप्पैया मेयप्पन, सुश्री कनिका के, सुश्री परीक्षा, भारती मोहन, सुश्री प्रिया, एस. सबरी बाला पांडियन, श्रीमती मालविका जयंत, सुश्री मिरांडा सोलमन, सुधाकरन, टी. हरीश कुमार, गौतम शिवशंकर, पी. राजलक्ष्मी, सुश्री रुचिरा गोयल, अदित जायेशभाई शाह, राजेश कुमार चौरसिया, गंगा सागर सिंह, आशीष कुमार चौरसिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

आवेदक-व्यक्तिगत
निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायालय का

अनिरुद्ध बोस, जे।

2018 की विशेष अवकाश याचिका (सी) No.3528 में दी गई छुट्टी।

2. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड-बनाम-ए के मामले में।

नागराजा और अन्य [(2014) 7 एस. सी. सी. 547], भारत और ओ. आर. एस. के इस पशु कल्याण बोर्ड की एक खंड पीठ।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

अदालत ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में प्रचलित दो आम खेलों को अनिवार्य रूप से गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जिन्हें क्रमशः 'जल्लीकट्टू' और 'बैलगाड़ी दौड़' के रूप में जाना जाता है। इन गोजातीय खेलों को रोकथाम अधिनियम की धारा 3,11 (1) (ए) और (एम) के प्रावधानों के विपरीत माना गया था। पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 ("1960 अधिनियम") जो संसद द्वारा अधिनियमित एक क़ानून है। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त का अर्थ लगाया था

1960 के अधिनियम की धारा 22 और प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में बैलों की प्रदर्शनी या प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि, एक अपवाद बनाया गया था और इस अधिसूचना में यह निर्दिष्ट किया गया था कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात में बैलगाड़ी दौड़ जैसे कार्यक्रमों में बैलों को आम समुदाय के रीति-रिवाजों या पारंपरिक रूप से रीति-रिवाजों के तहत या देश के किसी भी हिस्से में संस्कृति के हिस्से के रूप में जानवरों का प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य में, इस दौड़ में नर भैंसों शामिल थीं, जिन्हें उस राज्य में "कंबाला" के नाम से जाना जाता था। हालाँकि, इस अपवाद को कुछ शर्तों के अधीन बनाया गया था जो इस तरह के खेलों में उपयोग किए जाने के दौरान बैलों के दर्द और पीड़ा को कम करने की मांग करते थे। रिट याचिकाओं का एक समूह अर्थात डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 23 2016 का 24,2016 का 25,2016 का 26,2016 का 27,2016 का 88,2017 का 1059,2017 का 1011,2017 का 1188,2017 का 1193,2018 का एसएलपी (सी) No.3528 और एसएलपी (सी) संख्या। 3526-3527 2018 की स्थापना की गई थी

उक्त अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष। उन कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं ने अनुपालन की भी मांग की थी ए. नागराजा (उपर्युक्त) के मामले में निहित इस न्यायालय के निर्देशों के साथ।

3. इनमें से पहली रिट याचिका भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अंजलि शर्मा सहित अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है, लेकिन सुनवाई के दौरान, पशु कल्याण बोर्ड ने अपना रुख बदल दिया और मुख्य रूप से इस आधार पर भारत के राज्य और संघ के रुख का समर्थन करने की मांग की कि 1960 का अधिनियम और कुछ राज्य संशोधन जो [2023] 7 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 2017 में अधिनियमित किए गए अधिनियम अप्रिय नहीं थे और बोर्ड ने उपरोक्त कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान गोजातीय प्रजातियों की पीड़ा को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए थे। हम इस निर्णय में बाद में तीन राज्य संशोधन अधिनियमों का उल्लेख करेंगे। हालांकि, दूसरी रिट याचिकाकर्ता-अंजलि शर्मा, जो इस अदालत की वकील हैं और बोर्ड की सदस्य भी हैं

एकल रिट याचिकाकर्ता के रूप में उपरोक्त रिट याचिका पर मुकदमा चलाया।

4. डब्ल्यू. पी. के संबंध में (ग) 2017 का No.1188, एक अंतर्वर्ती आवेदन (2022 का 170346) विक्रमसिंह निवार्ति द्वारा दायर किया गया है। महाराष्ट्र में अपने एक कृषक होने के बल पर भोसले। उन्होंने तर्क दिया है कि महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम को चुनौती, यदि बनी रहती है, तो बैलगाड़ी दौड़ से जुड़े किसानों के जीवन में बाधा आ सकती है। यह भी उनका तर्क है कि महाराष्ट्र का संशोधन अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 15 से भी संबंधित है जो निर्धारित करता है:

" पशुओं का संरक्षण, संरक्षण और सुधार और पशु रोगों की रोकथाम; पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास "।

5. पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 (तमिलनाडु संशोधन अधिनियम), पशु क्रूरता निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2017 (महाराष्ट्र)

पशु क्रूरता निवारण (कर्नाटक दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2017 (कर्नाटक संशोधन अधिनियम) को संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। हम इस निर्णय में इन अधिनियमों का अधिक विस्तार से उल्लेख करेंगे। ये संशोधन अधिनियम तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक में कंबाला सहित विभिन्न प्रकार के गोजातीय खेलों को वैध बनाने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु संशोधन अधिनियम में परिभाषित जल्लीकट्टू शब्द इस प्रकार है:

" (घ) "जल्लीकट्टू" का अर्थ है एक कैलेंडर वर्ष के जनवरी से मई के महीनों तक और ऐसे स्थानों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, परंपरा और संस्कृति का पालन करने की दृष्टि से आयोजित बैल से जुड़ा एक कार्यक्रम और इसमें "मंजुविरातु", "वडामडु" और "इरुधुविदुमविज्ञा" शामिल हैं।

कर्नाटक संशोधन अधिनियम में, मूल कानून के संशोधन पर कंबाला शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" (क) "बैलों की दौड़ या बैलगाड़ी की दौड़" से बैलों की दौड़ सहित बैलों की दौड़ का कोई भी रूप अभिप्रेत है, जिसमें एक पारंपरिक खेल के रूप में बैलों को शामिल किया जाता है, चाहे वे लकड़ी के भारत और भारत के पशु कल्याण बोर्ड की मदद से गाड़ी से बंधे हों।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले दिनों और स्थानों पर राज्य में आम तौर पर परंपरा और संस्कृति के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है या नहीं (किसी भी नाम से जाना जाता है)। ; और

((ख) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्: (घ) "कंबाला" का अर्थ है पारंपरिक खेल आयोजन जिसमें शामिल हैं

भैंस (पुरुष) की दौड़ आमतौर पर राज्य में परंपरा और संस्कृति के एक हिस्से के रूप में ऐसे दिनों और स्थानों पर आयोजित की जाती है, जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा "।

महाराष्ट्र में आयोजित बैलगाड़ी दौड़ को संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" ((ख) "बैलगाड़ी दौड़" से ऐसा आयोजन अभिप्रेत है जिसमें बैलों या बैलों को दौड़ आयोजित करने के लिए, चाहे लकड़ी के जूले की मदद से गाड़ी से बंधा हो या नहीं (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए), ऐसे दिनों में और किसी भी जिले में जहां यह पारंपरिक रूप से ऐसे स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जहां इसे पहले जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, और जिसे "बैलगाड़ी शरीयत" के रूप में भी जाना जाता है, एक कार्टमैन के साथ या उसके बिना आयोजित किया जाता है।

" महाराष्ट्र राज्य में छक्कड़ी "और" शंकरपत "।

6. बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका ("पी. आई. एल.") लाई गई थी, जिसे 2017 की पी. आई. एल. (स्टाम्प) संख्या 23132 (अजय मराठे बनाम) के रूप में पंजीकृत किया गया था। महाराष्ट्र राज्य और अन्य) ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा "पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (बैलगाड़ी दौड़ का संचालन) नियम, 2017" शीर्षक के तहत लाए गए कुछ प्रस्तावित नियमों को चुनौती दी, जिसमें बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी गई और 11 अक्टूबर 2017 को उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य के भीतर बैलगाड़ी दौड़ के संचालन पर रोक लगा दी। द.

उपरोक्त नियमों में बैलगाड़ी दौड़ के संगठन को विनियमित करने की मांग की गई थी।

7. उस राज्य के एक किसान, संघली जिले के विक्रमसिंह निवृत्ति भोसले ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश पर जोर देते हुए 2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 3528 की स्थापना की है और इस संदर्भ में, हम उक्त विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए कुछ बिंदुओं पर भी विचार करेंगे।

8. इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने 2 फरवरी 2018 को पारित एक आदेश द्वारा संविधान पीठ द्वारा उत्तर दिए जाने वाले पांच प्रश्नों को तैयार किया और कागजातों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया। डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित 5 प्रश्न तैयार किए थे जिनका हमें इस निर्णय में उत्तर देना है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम संदर्भ योग्य है?

आई.

और सार, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 17, सूची III के लिए, या यह जानवरों के प्रति क्रूरता को आगे बढ़ाता है और बनाए रखता है; और इसलिए, क्या इसे क्रूरता की रोकथाम का एक उपाय कहा जा सकता है

जानवर? क्या यह रंगीन कानून है जो नहीं है राज्य सूची या प्रविष्टि 17 में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित

समवर्ती सूची?

तमिलनाडु संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि

ii.

तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। क्या विवादित तमिलनाडु संशोधन अधिनियम का उल्लेख किया जा सकता है?

तमिलनाडु राज्य के लोगों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बनना ताकि उनकी सुरक्षा प्राप्त की जा सके।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 29?

क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, शीर्ष में है और

iii.

पदार्थ, बैलों की देशी नस्ल के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए? क्या यह अधिनियम, सार और सार में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 से संबंधित है?

क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम इसके विपरीत है

iv.

अनुच्छेद 51ए (जी) और 51ए (एच), और इसलिए क्या इसे अनुचित और अनुच्छेदों का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है?

14 और भारत के संविधान का 21?

क्या विवादित तमिलनाडु संशोधन अधिनियम सीधे है?

वी.

उपरोक्त मामले में ए. नागराजा (उपरोक्त) के फैसले और 16 नवंबर, 2016 के समीक्षा फैसले के विपरीत, और क्या उपरोक्त दो फैसलों में बताए गए दोषों को कहा जा सकता है

तमिलनाडु विधानमंडल द्वारा अधिनियमित करके

विवादित तमिलनाडु संशोधन अधिनियम? "

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) में तीनों राज्यों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी गई थी। ग्राम पंचायत के मामले में इस न्यायालय के फैसले के संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से राष्ट्रपति की सहमति के कार्य पर सवाल उठाया गया है।

ई जमालपुर-बनाम-मालविंदर सिंह और अन्य [(1985) 3 एससीसी

यह तर्क दिया गया है कि इस तरह की सहमति प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रपति के समक्ष पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। फर्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य-बनाम बिहार राज्य और भारत और भारत के पशु कल्याण बोर्ड में इस न्यायालय का निर्णय।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

10. डब्ल्यू. पी. में (ग) 2018 के कर्नाटक संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। इस याचिका को इसके साथ टैग किया गया था डब्ल्यू. पी. (ग) 2017 की सं. 1059 दिनांकित 7.12.2018 आदेश द्वारा। डब्ल्यू. पी. (ग) 2017 के No.1059 पर टी. सी. के साथ सुनवाई हुई। (ग) 2021 की No.60, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक और महाराष्ट्र संशोधन अधिनियमों का संज्ञान लिया और 16.12.2021 पर उक्त पीठ द्वारा पारित एक आदेश में कहा गया:

" तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य द्वारा किए गए समान संशोधनों के संबंध में पूरा मामला अब संविधान पीठ को भेजा जाता है, जिसमें इस सवाल पर विचार करना भी शामिल है कि क्या ये संशोधन अधिनियम (तमिलनाडु राज्य के) हैं।

इस न्यायालय के दो निर्णयों में बताए गए दोषों को दूर करें। इन रिट याचिकाओं में भी इसी तरह का सवाल उठेगा।

और महाराष्ट्र से स्थानांतरित किया गया मामला

महाराष्ट्र राज्य के प्रावधान। इसलिए, इन रिट याचिकाओं की सुनवाई राज्य से संबंधित रिट याचिकाओं के साथ की जानी चाहिए।

तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य। "

11. महाराष्ट्र में जल्लीकटू और बैलगाड़ी दौड़ से संबंधित ए. नागराजा (उपरोक्त) के फैसले में, इस न्यायालय की खंड पीठ ने

बैलों को किसी भी खेल में शामिल होने के लिए अनुपयुक्त पाया गया। पीठ ने पाया कि बैल प्राकृतिक जानवरों का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे घोड़े की तरह दौड़ने का झुकाव। ए. नागराजा (ऊपर) के मामले में पीठ का तर्क, अन्य बातों के साथ-साथ, पैराग्राफ 33,37,41,44,53 और 73 से सामने आएगा। न्यायालय द्वारा इन अनुच्छेदों में यह अभिनिर्धारित किया गया है:

" 33. पी. सी. ए. अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है जिसका अर्थ अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह साधारण कानून है कि कल्याणकारी विधान के मामलों में, कानून के प्रावधान

उदारतापूर्वक कमजोर और दुर्बल लोगों के पक्ष में समझा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस उपकरण का सार जिसके लिए उसे घूंघट को छेदना होता है और यह जांचना होता है कि क्या दिशानिर्देश या नियम बनाए गए हैं ताकि पशुओं के कल्याण के अलावा कोई अन्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। विनियम या दिशानिर्देश, चाहे वे वैधानिक हों या

अन्यथा, यदि वे कल्याण को कमजोर या पराजित करने का इरादा रखते हैं

कानून और संवैधानिक सिद्धांतों, अदालत को उन्हें निरस्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए ताकि कल्याणकारी कानून के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अदालत ने कहा है कि

पेरेंस पेट्रिया के सिद्धांत के तहत जानवरों के अधिकारों की देखभाल करना भी एक कर्तव्य है, क्योंकि वे मनुष्यों के खिलाफ खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं।

एक्सएक्सएक्स

" 37. धारा 11 आम तौर पर जानवरों के प्रति क्रूरता से संबंधित है। धारा 11 आयोजकों को आचरण करने का कोई अधिकार नहीं देती है।

जल्लीकट्टू/बैलगाड़ी दौड़। धारा 11 फायदेमंद है।

पशुओं के कल्याण और संरक्षण के लिए अधिनियमित प्रावधान और यह दंडात्मक प्रकृति का है। प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, यह जानवरों को अधिकार प्रदान करता है और सभी व्यक्तियों को दायित्व देता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो जानवरों की देखभाल या देखभाल करते हैं, ए. डब्ल्यू. बी. आई. आदि उनकी भलाई और कल्याण की देखभाल करते हैं।

XXX

" 41. धारा 11 (3) में धारा 11 (3) (ए) से (ई) में उल्लिखित मामलों की पांच श्रेणियों में अपवाद दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

" 11. (3) इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा

या (ख) आवारा कुत्तों को घातक कक्षों में या उनके द्वारा नष्ट करना।

ऐसी अन्य विधियाँ जो विहित की जाएं; या भारत और भारत के पशु कल्याण बोर्ड।

वी. एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

(ग) किसी भी जानवर का विनाश या विनाश

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का प्राधिकार; या

(घ) अध्याय 4 में वर्णित कोई भी मामला; या (ई) के दौरान किसी भी अधिनियम का कमीशन या चूक

किसी के विनाश या विनाश की तैयारी मानव जाति के लिए भोजन के रूप में पशु जब तक कि ऐसा विनाश या

तैयारी के साथ लगाया गया था

अनावश्यक दर्द या पीड़ा "।

अपवादों को "आवश्यकता के सिद्धांत" के आधार पर शामिल किया जाता है। धारा 11 (3) का खंड (बी) निम्नलिखित से संबंधित है -

आवारा कुत्तों का विनाश, आवश्यकता के कारण, अन्यथा, यह मनुष्यों के लिए हानिकारक होगा। धारा 11 (3) का खंड (घ) अध्याय 4 में वर्णित मामलों से संबंधित है।

आवश्यकता से बाहर निगमित, जो संबंधित है

जानवरों पर प्रयोग, जो इस उद्देश्य के लिए है

शारीरिक विज्ञान की नई खोज से प्रगति ज्ञान या ज्ञान जो बचाने के लिए या जीवन को बढ़ाने या पीड़ा को कम करने के लिए उपयोगी होगा

या किसी भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए, चाहे वह मनुष्य की हो,

जानवर या पौधे, जो निषिद्ध नहीं हैं और वैध हैं। धारा 11 (3) का खंड (ई) जानवरों की हत्या की अनुमति देता है।

मानव जाति के लिए भोजन के रूप में, निश्चित रूप से, बिना किसी नुकसान के

अनावश्यक दर्द या पीड़ा, जो खंड भी है

"आवश्यकता से बाहर" शामिल किया गया। जानवरों पर प्रयोग करना और उनका मांस खाना हमारे समाज में प्रजातिवाद के दो प्रमुख रूप बताए जाते हैं। ऊपर और ऊपर,

विधायिका ने धारा 28 के आधार पर किसी भी धर्म द्वारा आवश्यक तरीके से जानवरों की हत्या का समर्थन किया है।

समुदाय। मनोरंजन, प्रदर्शनी या मनोरंजन इन छूट प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसके सिद्धांत के तहत अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है

आवश्यकता "।

XXX

14. इसलिए, हमारे विचार में, बैल इमलों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, शारीरिक रूप से इसके लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन मजबूर हैं

[2023] 7 एस. सी. आर. के कुल उल्लंघन में, दर्द और पीड़ा देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीसीए अधिनियम की धारा 3 और धारा 11 (1)। का अध्याय V

पी. सी. ए. अधिनियम प्रदर्शन करने वाले जानवरों से संबंधित है। पी. सी. ए. अधिनियम की धारा 22 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाती है।

प्रदर्शन करने वाले जानवर, जो नीचे लिखे अनुसार हैं:

" 22. प्रदर्शनी और प्रदर्शन के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध

जानवर। कोई भी व्यक्ति प्रदर्शनी या प्रशिक्षण नहीं देगा।

((i) कोई भी प्रदर्शन करने वाला जानवर जब तक कि वह पंजीकृत न हो।

इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार;
वाले जानवर के रूप में, कोई भी जानवर जो केंद्रीय

((ii) एक प्रदर्शन करने

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक ऐसे जानवर के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है जिसे प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा।

एक प्रदर्शन करने वाले जानवर के रूप में "।

XXX

" 53. टी. एन. आर. जे. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्राचीन संस्कृति और परंपरा को संदर्भित करता है और यह नहीं बताता है कि इसका कोई धार्मिक महत्व है। यहां तक कि प्राचीन संस्कृति और परंपरा भी जल्लीकट्टू के संचालन का समर्थन नहीं करती है या

बैलगाड़ी दौड़, जिस रूप में वे वर्तमान में आयोजित की जा रही है। बैल का कल्याण और कल्याण तमिल संस्कृति और परंपरा है, वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं।

दूसरी ओर बैलों को कोई दर्द या पीड़ा देना।

हाथ, तमिल परंपरा और संस्कृति बैल की पूजा करना है और बैल को हमेशा भगवान का वाहन माना जाता है।

शिवा। तमिल परंपरा में, येरू थाजुवु, मानव बहादुरी दिखाने के लिए बैल को गले लगाना है न कि बैल पर हावी होना। जल्लीकट्टू का अर्थ है, बैल के सींगों से बंधे चांदी या सोने के सिक्के।

और पुराने दिनों में जो लोग बैल के सींगों पर पैसा लगाते थे, वे मालिक की बेटी से शादी करते थे। जल्लीकट्टू या बैलगाड़ी दौड़, जैसा कि अब प्रचलित है, कभी भी तमिलनाडु की परंपरा या संस्कृति नहीं रही है।

XXX

" 73. जल्लीकट्टू और बैलों की दौड़ के अन्य रूप, जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है, काफी दर्द, तनाव और तनाव का कारण बनते हैं।

बैलों पर। इस तरह की घटनाओं में बैल न केवल भारत और हमारे पशु कल्याण बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

सिर दिखाता है कि वे अखाड़े में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वादी वासल में होने वाली पीड़ा इतनी अधिक है कि उनके पास ऐसी स्थिति में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो उनके लिए प्रतिकूल है। उस स्थिति में बैल तनावग्रस्त, थके हुए, घायल और अपमानित होते हैं। बैलों की हताशा उनकी आवाज़ में ध्यान देने योग्य है और बैलों के चेहरे की अभिव्यक्ति को देखकर, एथोलॉजिस्ट या एक आम आदमी आसानी से उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता है। बैल, अन्यथा बहुत शांतिपूर्ण जानवर हैं जो मानव उपयोग के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।

और आवश्यकता, लेकिन वे ऐसी अग्निपरीक्षा के अधीन हैं जो न केवल उन पर गंभीर पीड़ा लाती है, बल्कि उन्हें उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए भी मजबूर करती है, अर्थात्, वे व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें उस घटना में मजबूर करते हैं जो पसंद नहीं है और, उस प्रक्रिया में,

उन्हें पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। बैल बिना थके, घायल हुए, प्रताड़ित या अपमानित हुए तथाकथित प्रदर्शन को जारी नहीं रख सकते। बैलों को भी जानबूझकर डराया जाता है,

चोट-मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से और मानव सुख और आनंद के लिए अनावश्यक तनाव और तनाव में डालना, वह भी एक ऐसी प्रजाति जिसने मानव लाभ के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया है।

आवश्यकता से बाहर।

12. 1960 का अधिनियम विधायी के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है।

सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 में निहित शक्ति

भारत का संविधान। मुख्य क़ानून पर संशोधन अधिनियमों के प्रभाव का खुलासा नीचे दी गई तुलनात्मक तालिका से किया जाएगा:

क्रूरता की रोकथाम के प्रावधान

की रोकथाम

की रोकथाम

पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम पशुओं के प्रति क्रूरता

पशु अधिनियम, 1960

(कर्नाटक दूसरे स्थान पर

(महाराष्ट्र

(" प्रधान अधिनियम ")

(तमिलनाडु

संशोधन) अधिनियम,

संशोधन) अधिनियम,

संशोधन) अधिनियम,

2017

2017

2017

संशोधन के लिए एक अधिनियम

संशोधन के लिए एक अधिनियम

एक अधिनियम आगे

रोकने के लिए एक अधिनियम

दायरा

अनावश्यक प्रभाव डालना

क्रूरता की रोकथाम

रोकथाम में संशोधन करें

क्रूरता की रोकथाम

पशुओं पर दर्द या पीड़ा

पशु अधिनियम, 1960

पशुओं के प्रति क्रूरता

पशु अधिनियम, 1960,

और इस उद्देश्य के लिए

बचाने के लिए

अधिनियम, 1960 में

राज्य के लिए आवेदन की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए अपने आवेदन में

कर्नाटक से।

तमिलनाडु राज्य

क्रूरता की रोकथाम

महाराष्ट्र।

और यह सुनिश्चित करने के लिए

जानवर।

अस्तित्व

और

कल्याण

देशी नस्लों की

बैल।

[2023] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड 2 परिभाषाएँ। - इस अधिनियम की धारा 2 में,

धारा 2 में

धारा 2 में

जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

क्रूरता की रोकथाम

क्रूरता की रोकथाम

क्रूरता की रोकथाम

(क) पशु अधिनियम, 1960 से पशु अधिनियम, 1960 से पशु अधिनियम, 1960 तक "पशु" से कोई भी जीवित प्राणी अभिप्रेत है (केंद्रीय अधिनियम 59 का (केंद्रीय अधिनियम 59 का मानव के अलावा अन्य पर लागू होने में; 1960) (इसके बाद 1960) (इसके बाद राज्य का अर्थ है [(ख) "बोर्ड" का अर्थ है प्रधान अधिनियम के बाद महाराष्ट्र प्रधान अधिनियम के रूप में संदर्भित),-

(i) (इसके बाद संदर्भित) के तहत स्थापित बोर्ड

खंड (घ), खंड (क) के पश्चात्, मूल के रूप में

धारा 4, और इस प्रकार

समय-समय पर किया गया पुनर्गठन

निम्नलिखित खंड

निम्नलिखित होगा

अधिनियम "], खंड (बी) के बाद, धारा एसए के तहत समय;] (सी) जोड़ा जाए, अर्थात्: सम्मिलित किया गया, अर्थात्: निम्नलिखित खंड

"बंदी पशु "का अर्थ है कोई भी" (डीडी) "जल्लीकट्टू" (एए) "बैल की दौड़ या सम्मिलित किया जाएगा,

पशु (घरेलू नहीं होना)

मतलब एक घटना

बैलगाड़ी दौड़ "

अर्थात्:

जानवर) जो कैद में है

बैलों का अर्थ है "(बीबी)" बैलगाड़ी का कोई भी रूप

सम्मिलित करना

या बंदी, चाहे

एक दृश्य के साथ आयोजित

दौड़ सहित बैलों की दौड़ का अर्थ है एक घटना

परंपरा का पालन करना और

बैलगाड़ी की दौड़ जिसमें बैल शामिल होते हैं या

स्थायी या अस्थायी, या

जो किसी के अधीन है

ऐसे दिनों में संस्कृति

एक पारंपरिक खेल बैल का संचालन करने के

लिए

के लिए उपकरण या युक्ति

महीनों से

बैलों की दौड़ शामिल है, चाहे वह बंधी हो

बाधा डालने का उद्देश्य या

जनवरी से मई तक

क्या इसकी मदद से गाड़ी से बंधा हुआ है

कैलेंडर वर्ष और में

लकड़ी के जूए की मदद से या नहीं

से बचने के लिए

विकलांग है या प्रतीत होता है; सरकार, और कहा जाता है) आमतौर पर परंपरा के एक हिस्से के रूप में एक कार्टमैन के बिना आयोजित किया जाता है जिसका पालन करने की दृष्टि से (घ) "घरेलू पशु" का अर्थ है -

राज्य की परंपरा और संस्कृति में

कोई भी जानवर जिसे वश में किया जाता है

"मंजुविरातु",

और ऐसे दिनों में और ऐसे दिनों में और "एरुधुविदुम्विझा" की सेवा करने के लिए पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। ऐसे स्थान जहाँ राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाता है, जैसा कि कोई भी जिला हो सकता है। उपयोग के लिए कुछ उद्देश्य

सरकार "। ; और (ii)। ऐसे स्थानों पर आयोजित, जैसे -

आदमी या जो, हालांकि यह

न तो हुआ है और न ही हो रहा है

खंड (घ) के बाद, पहले हो सकता है

निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया जाएगा

न ही ऐसा होने का इरादा है

सम्मिलित किया गया, अर्थात्: - जिला कलेक्टर, और

वश में किया गया है या बन गया है पूरी तरह से या आंशिक रूप से नियंत्रित तथ्य;

" (dd) "कंबाला"। के रूप में भी जाना जाता है

((ड) "स्थानीय प्राधिकारी" का अर्थ है -

जिसका अर्थ है पारंपरिक। "बैलगाड़ा शरीयत",

"छक्कड़ी" से जुड़े खेल आयोजन और
नगरपालिका समिति,
भैंस की (पुरुष) दौड़। शंकरपत में
जिला बोर्ड या अन्य
आम तौर पर महाराष्ट्र राज्य के एक भाग के रूप
में आयोजित किया जाता है।
उस समय के लिए प्राधिकरण
कानून द्वारा निवेश किया गया
परंपरा और संस्कृति
नियंत्रण और प्रशासन
इस राज्य में
ए के भीतर कोई भी मामला
दिन और स्थान, जैसे
निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र; (च)
द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है
" मालिक ", संदर्भ के साथ उपयोग किया जाता है
राज्य सरकार "।
के साथ या उसके बिना
मालिक की सहमति; (छ)
" फूका "या" कयामत देव "
इसमें कोई भी प्रक्रिया शामिल है -
दूध का स्राव; (ज)
" निर्धारित "
मतलब

पहुँच। जो जनता के पास है।

ई भारत और हमारा पशु कल्याण बोर्ड। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

अधिनियम की धारा 3 की धारा 3 रखने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य

जानवरों का प्रभार। यह प्रमुख अधिनियम प्रमुख अधिनियम होगा, प्रमुख अधिनियम होगा
उप-क्रमांकित के रूप में प्रत्येक पुनः क्रमांकित का कर्तव्य होगा

उप के रूप में पुनः क्रमांकित

उस धारा (1) की उस उप-धारा (1) की देखभाल या धारा (1) रखने वाला व्यक्ति;

किसी भी पशु का अनुभाग पर और उप-अनुभाग के बाद और उप-अनुभाग के बाद प्रभार

सभी उचित धारा (1) को इस प्रकार पुनः धारा (1) के रूप में लें ताकि (1) को इस प्रकार
पुनर्संख्यांकित किया जाए,

पुनः क्रमांकित, निम्नलिखित उप

क्रमांकित सुनिश्चित करने के लिए उपाय, ऐसे जानवर का कल्याण

निम्नलिखित उपखंड

निम्नलिखित उप-धारा धाराएँ होंगी

सम्मिलित, जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

जोड़ा जाएगा,

और इसे रोकने के लिए

" (2) | " (2) इसके बावजूद

ऐसे जानवर पर हमला

अर्थात्:

अर्थात्:

" (2) इसके बावजूद

में कुछ भी निहित है

अनावश्यक दर्द या

में कुछ भी निहित है

उप-धारा (1) में निहित कुछ भी,

पीड़ा होती है।

उप-धारा (1),

उप-धारा (1) बैलगाड़ी दौड़ आयोजित कर सकती है

बैलों की दौड़ या बैलों की दौड़ इस तरह के नियमों के अधीन आयोजित की जाए
और नियमों के रूप में

कार्ट रेस "कलेक्टर का विषय होगा।

द्वारा तैयार किया जा सकता है

अनुमति दी गई, इस शर्त के अधीन कि
ऐसी स्थिति जिसमें कोई दर्द या पीड़ा न हो

राज्य सरकार,
अनुमति दी जाएगी। " . अनावश्यक पीड़ा या पीड़ा के कारण या अधिनियम के कारण होने की
कल्पना की जाती है

नियमों द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य शर्तें
धारा 38ख के तहत, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है,

राज्य सरकार द्वारा।

सरकार, (3) द्वारा यदि कोई व्यक्ति या

प्रभारी व्यक्ति

अधिसूचना "।

जानवर चलाते हैं

उप-धारा (2) में या

इसके तहत बनाए गए नियम

बैल से संबंधित

बरसों "।

ઓવર-રાઈડ, ઓવરડ્રાઈવ,

खंड (ई),

खंड (ई), खंड

निम्नलिखित खंड

अति-भार, यातनाएँ या

निम्नलिखित खंड

निम्नलिखित होगा

अन्यथा कोई भी व्यवहार करता है

जोड़ा जाए, अर्थात्:

सम्मिलित किया गया, अर्थात्: - " (च) सम्मिलित किया

जाए, अर्थात्

" (च) का आचरण

का आचरण

जानवर ताकि इसके अधीन हो " (ग-1) अनावश्यक दर्द या बैलगाड़ी की दौड़ के साथ कंबाला के साथ जल्लीकट्टू का संचालन।

पीड़ा या कारण या,

देखने के लिए और

देखने के लिए और

के अनुसार

मालिक की अनुमति होने के नाते,

परंपरा को बढ़ावा देना और

परंपरा को बढ़ावा देना और

उप के प्रावधान

कोई भी जानवर ऐसा होना चाहिए

धारा की धारा (2)

संस्कृति और सुनिश्चित करें

संस्कृति और सुनिश्चित करें

इलाज किया गया; या (बी) [देशी 3 के देशी संरक्षण के संरक्षण में या किसी भी काम या श्रम में भाग लेने के लिए या भैंसों की नस्लों के साथ-साथ भैंसों की नस्ल के लिए भी उनकी सुरक्षा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनका पालन करें और बढ़ावा दें।

किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी जानवर

सुरक्षा और

जो अपनी उम्र के कारण

और कल्याण "।

परंपरा और संस्कृति सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

या कोई बीमारी], दुर्बलता, कल्याण की धारा 11 में। (जी) ए
घाव, घाव या अन्य कारण,

प्रधान अधिनियम, "बैल दौड़ पी" के उप-संचालन में

इस तरह से नौकरी करने के लिए अयोग्य है

खंड (3), बैलगाड़ी दौड़ के बाद।
खंड

(ई), का पालन करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ

या, मालिक होने के नाते,
ऐसी किसी भी अयोग्यता की अनुमति देता है

निम्नलिखित खंड परंपराओं को बढ़ावा देगा और

पशु को इस तरह से नियोजित किया जाना;

जोड़ा जाए, अर्थात्: - और संस्कृति और बी सुनिश्चित करें

" (च) देशी के संरक्षण का संचालन

या (ग) जानबूझकर और

' जल्लीकटू 'गायों की एक नस्ल के साथ भी

अनुचित रूप से प्रशासित

कोई हानिकारक दवा या

अनुसरण करने के लिए दृष्टिकोण और उनकी सुरक्षा,

2 के लिए हानिकारक पदार्थ

परंपरा और कल्याण को बढ़ावा देना "। [कोई भी जानवर] या जानबूझकर संवर्धन और
सुनिश्चित करें

देशी का संरक्षण

और अनुचित कारण

बैलों की नस्लें भी

या किसी का कारण बनने का प्रयास
ऐसी दवा या पदार्थ

उनकी सुरक्षा, सुरक्षा

इसके अधीन होने की स्थिति
अनावश्यक दर्द

या

पीड़ा; या (ई) रखता है या

किसी भी जानवर को किसी में सीमित करता है

लंबाई और चौड़ाई से
जानवर ए को अनुमति दें

के लिए उचित अवसर
आंदोलन; या (च) के लिए रखता है

एक अनुचित समय किसी भी

पशुओं को जंजीरों से बांध दिया जाता है या बांध दिया जाता है

अनुचित रूप से
संक्षिप्त या अनुचित रूप से

भारी जंजीर या तार; या (छ)
मालिक होने के नाते, उपेक्षा करता है

व्यायाम करना या होने का कारण बनना

आदतन कुत्ते को जंजीरों से बांध दिया जाता है
या पास में रखा गया

कारावास; या (ज) होना

[किसी भी जानवर] का मालिक
ऐसा प्रदान करने में विफल रहता है

पर्याप्त भोजन के साथ पशु,

पेय या आश्रय; या (i)
बिना किसी उचित कारण के,

किसी भी जानवर को छोड़ देता है

जो

परिस्थितियाँ

भूख या प्यास; या (जे)
जानबूझकर

परमिट

किसी भी

जानवर, जिसमें वह है

खैर, किसी भी में बड़े पैमाने पर जाने के लिए

संक्रामक से प्रभावित या
संक्रामक रोग

या,

बिक्री या, उचित के बिना

कारण, उसके कब्जे में भारत और भारत का पशु कल्याण बोर्ड है। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

कोई भी जानवर जो

(i) किसी भी जानवर को सीमित करता है या उसे सीमित करता है (जिसमें बांधना भी शामिल है)। बाघ या अन्य अभयारण्य में चारा के रूप में जानवर) ताकि इसे किसी अन्य जानवर के लिए शिकार की वस्तु बनाया जा सके; या (ii) किसी भी जानवर को किसी अन्य जानवर से लड़ने या चारा लगाने के लिए उकसाता है; या) (एन) 3

पशुओं के लिए किसी भी स्थान को व्यवस्थित करता है, रखता है, उपयोग करता है या प्रबंधन में कार्य करता है

लड़ने या किसी जानवर को लूटने के उद्देश्य से या इस तरह से उपयोग किए जाने के लिए किसी भी स्थान की अनुमति या प्रस्ताव देता है या किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करता है या किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए रखा या उपयोग किया जाता है; या (0) किसी शूटिंग मैच या प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है या उसमें भाग लेता है।

जहाँ से जानवरों को छोड़ा जाता है

ऐसी गोलीबारी के उद्देश्य के लिए कैद; वह दंडनीय होगा, 4 [पहले अपराध के मामले में, जुर्माने के साथ जो दस रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो पचास रुपये तक हो सकता है और दूसरे या बाद के मामले में।

अपराध

धारा (1), एक मालिक को ऐसा माना जाएगा कि अपराध किया है।

यदि वह असफल रहा है तो उसने

व्यायाम

उचित देखभाल

और

[2023] 7 एस. सी. आर. की दृष्टि से पर्यवेक्षण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मालिक कहां है
अनुमति देने का दोषी ठहराया गया

केवल कारण से क्रूरता

ऐसी देखभाल और पर्यवेक्षण,
वह उत्तरदायी नहीं होगा

बिना सजा के

आवारा कुत्तों की मौत
कक्ष या 5 [ऐसे द्वारा

अन्य तरीके जो हो सकते हैं

विहित]; या (ग)
विनाश।

या

किसी भी जानवर का विनाश

किसी भी अधिकार के तहत

उस समय के लिए कानून
बल; या (घ) कोई पदार्थ

अध्याय IV में वर्णित;

विनाश का क्रम या
के लिए तैयारी

किसी भी जानवर का विनाश
मानव जाति के लिए भोजन के रूप में जब तक कि

विनाश

इस तरह

या

तैयारी

था।

के साथ

अनावश्यक

प्रभाव

डालना

दर्द या पीड़ा।

धारा 22 प्रदर्शनी पर प्रतिबंध और निम्नलिखित परंतुक की धारा 22 में धारा 22 को मूल अधिनियम में जोड़ा जाएगा।

प्रदर्शन का प्रशिक्षण

अंत में, निम्नलिखित

निम्नलिखित परंतुक

जानवर। कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा

की धारा 22

प्रदर्शनी या प्रशिक्षण-(i) कोई भी

प्रिंसिपल

अधिनियम, परंतुक होगा

जोड़ा जाएगा,

जानवर का प्रदर्शन करना जब तक कि वह

अर्थात्: " प्रदान किया गया

सम्मिलित किया गया,

अर्थात् एक्स

इस अनुसार पंजीकृत है कि कुछ भी निहित नहीं है अर्थात्: बशर्ते कि इस धारा में इसके प्रावधानों के साथ कुछ भी इस अध्याय में निहित नहीं होगा; (ii) इस धारा के संचालन के लिए एक प्रदर्शन के रूप में धारा पशु, किसी भी पशु पर लागू होगी जो 'जल्लीकट्टू' है। .

बैलों के आचरण का संचालन करना

केंद्र सरकार

" कंबाला या बैल

गाड़ी की दौड़

में

मे मे अधिसूचना द्वारा

दौड़ या बैलगाड़ी

के अनुसार

आधिकारिक राजपत्र, के रूप में निर्दिष्ट करें

जाति "जैसा भी मामला उप के प्रावधान कर

सकते हैं

धारा की धारा (2)

एक जानवर जो नहीं होगा

बनो "।

के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित

3. " .

प्रदर्शन करने वाला जानवर।

धारा 27 छूट। - कुछ भी नहीं।

की धारा 27 में

धारा 27 की धारा 27 में

इस अध्याय में निहित

मुख्य अधिनियम, इसके बाद

मूल अधिनियम, मूल अधिनियम के बाद,

इस पर लागू होगा-(क)

खंड (ख),

खंड (ख), खंड (क),

बोना के लिए जानवरों का प्रशिक्षण

निम्नलिखित खंड

निम्नलिखित खंड होगा

निष्ठावान सैन्य पुलिस

जोड़ा जाए, अर्थात्:

सम्मिलित किया गया, अर्थात्: - " (ग)। प्रविष्ट

किया जाए, अर्थात्

" (c) का आचरण

(क-1) आचरण का आचरण

उद्देश्य या प्रदर्शनी

' जल्लीकट्टू 'ए के साथ

इस प्रकार प्रशिक्षित कोई पशु; या

" कंबाला "एक के साथ

बैलगाड़ी दौड़ में

(ख) किसी भी जानवर को किसी भी स्थान पर रखा जाता है।

देखने के लिए और

पालन करने का दृष्टिकोण और उसके अनुसार

परंपरा को बढ़ावा देना और

प्राणी उद्यान या किसी भी

परंपरा को बढ़ावा देना और

भारत और भारत के उप-ई पशु कल्याण बोर्ड के प्रावधान। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

समाज या संगठन जो संस्कृति और संस्कृति सुनिश्चित करता है और सुनिश्चित करता है

धारा की धारा (2)

इसका मुख्य उद्देश्य है

जीवित रहना

और जीवित रहना

और 3, पशुओं की प्रदर्शनी के उद्देश्य से देशी नस्लों को जारी रखने और बैलों की नस्लों को बढ़ावा देने के लिए। . भैंसों की नस्लें। परंपरा और संस्कृति

शैक्षिक या वैज्ञानिक

(घ) आचरण

और जीवित रहना सुनिश्चित करें

उद्देश्य।

" बैलों की दौड़ या बैल

और निरंतरता

बैलों की देशी नस्लों को देखते हुए "गाड़ी की दौड़";

अनुसरण करना और बढ़ावा देना

या "

देशी

नस्लें

पशु "।

मूल अधिनियम की धारा 28 के बाद की धारा 28 की धारा 28 के बाद, मूल अधिनियम, मूल अधिनियम, निम्नलिखित धारा निम्नलिखित धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: सम्मिलित किया जाए, अर्थात्: सम्मिलित किया जाएगा, "इसमें निहित कुछ भी नहीं है अर्थात्: यह अधिनियम इस अधिनियम पर लागू होगा, "28ए कुछ भी नहीं 'जल्लीकट्टू' आयोजित" कंबाला "या" दौड़ या बैलगाड़ी का पालन करने और बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम में निहित बैल परंपरा और संस्कृति की दौड़ पर लागू होंगे "बैलगाड़ी पर लागू होगा।

रेस

और इस तरह का आचरण

फॉलो करें और बढ़ावा दें

आयोजित किया गया

में

' जल्लीकट्टू 'इसके तहत अपराध और धारा की उप "कंबाला" या "बैल धारा (2)" के प्रावधानों के आचरण के अनुसार परंपरा और संस्कृति नहीं होगी।

अधिनियम "।

3 पालन करना और

दौड़ या बैलगाड़ी

जाति "एक नहीं होगी

परंपरा को बढ़ावा देना और

इस संस्कृति के तहत अपराध और

आचरण नहीं होगा

अधिनियम "।

इसके तहत एक अपराध

अधिनियम

"।

की धारा 38ए के बाद

1

|

प्रमुख

अधिनियम,

इसके बाद

अनुभाग

अर्थात्:

सम्मिलित किया जाएगा,

" (1) राज्य

सरकार

हो सकता है,

विषय में

पिछली स्थिति

प्रकाशन,

द्वारा

में

अधिसूचना

आधिकारिक

राजपत्र,

नियम बनाएँ, नहीं

के

साथ

असंगत

द्वारा बनाए गए नियम

केंद्र सरकार,

यदि कोई हो तो ले जाने के लिए

प्रभावी रूप से

द.

उप [2023] 7 एस. सी. आर. के प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसके बनने के बाद,

कुल अवधि के लिए

सत्र, और यदि,

वह सत्र जिसमें

बनाना

धारा की धारा (2)

3 अधिनियम (2) प्रत्येक

जितनी जल्दी हो सके,

प्रत्येक सदन के समक्ष

जब यह सत्र में है

तीस दिन, जो

में शामिल किया जा सकता है

एक या दो सत्रों में

या अधिक क्रमिक

समाप्ति से पहले

सदनों में सहमति बनी

किसी भी

नियम में संशोधन

या दोनों सदन सहमत हैं

कि नियम होना चाहिए

नहीं किया जाता और

करें
अधिकारी में

इस तरह के निर्णय को सूचित

राजपत्र, नियम होगा,

तारीख से

इस तरह का प्रकाशन

अधिसूचना, है

केवल इस तरह का प्रभाव

संशोधित रूप या होना

रद्द किया जाएगा

बिना किसी पूर्वाग्रह के

की वैधता

पहले कुछ भी

किया या छोड़ दिया गया

उस नियम के तहत किया गया "

13. उपरोक्त के बाद तीन संशोधन अधिनियम प्राप्त हुए

राष्ट्रपति की सहमति से, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों ने उपरोक्त गोजातीय खेलों के संचालन के लिए नियम बनाए। तमिलनाडु नियमों का शीर्षक था "जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (जल्लीकट्टू का संचालन) नियम, 2017" और महाराष्ट्र राज्य के लिए, "जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (बैलगाड़ी दौड़ का संचालन) नियम, 2017" तैयार किया गया था। जहाँ तक कर्नाटक राज्य का संबंध है, इसी तर्ज पर एक ज्ञापन सं. पी. एस. एम. 257 एस. एल. वी.-2014 दिनांक 17 दिसंबर 2015। इन नियमों/अधिसूचनाओं का उद्देश्य भारत और भारत के पशु कल्याण बोर्ड के संचालन को सख्ती से विनियमित करना है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

खेलकूद। वे दौड़ में भाग लेने के लिए खेल के आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन के लिए प्रावधान करते हैं। बैलगाड़ी के आयोजन के लिए

दौड़, नियम उस तरीके के लिए निर्धारित करते हैं जिसमें इस तरह की दौड़ को ट्रैक की लंबाई, आराम की अवधि और आम जनता से ट्रैक के अलगाव के लिए विनिर्देशों के साथ आयोजित किया जा सकता है। तमिलनाडु के नियमों में विशेष रूप से अखाड़े के लिए विनिर्देशों के साथ बैलों की जांच, बैलों के संग्रह यार्ड के साथ-साथ दर्शकों की गैलरी की स्थापना का भी प्रावधान है। पदार्थ में ये उपकरण किसी भी शारीरिक गड़बड़ी को प्रतिबंधित करते हैं बैलों को धारदार वस्तुओं, डंडों से मारना और धक्का देना, उनकी आँखों में मिर्च पाउडर डालना, अपनी पूंछ को मोड़ना और इस तरह के अन्य दर्द पैदा करने वाले कार्य करना पसंद है।

14. याचिकाकर्ताओं/पक्षों की प्रस्तुतियों का मुख्य विषय

जो संशोधन अधिनियमों पर हमला कर रहे हैं, वे दो तर्कों पर आधारित हैं। श्री श्याम दीवान, श्री आनंद ग्रोवर, श्री सिद्धार्थ लूथरा, श्री कृष्णन वेणुगोपाल और श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इन खेलों के निरंतर प्रदर्शन पर आरोप लगाते हुए पक्षों की ओर से पेश हुए जिन्हें क्रूर माना जाता है। का समर्थन करने वाले उत्तरदाताओं के मामले

इन खेलों को जारी रखने का तर्क मुख्य रूप से श्री तुषार ने दिया है।

मेहता, एल. महान्यायवादी श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी और श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए, उनका मुख्य मामला यह है कि राज्य संशोधनों के बाद भी, वैध होने की मांग की जाने वाली गतिविधियाँ अभी भी विनाशकारी हैं और 1960 के अधिनियम की धारा 3,11 (1) (ए) और (एम) के प्रावधानों के विपरीत हैं। यह उनका तर्क है कि संशोधन अधिनियम लाए गए दोषों या कमियों को दूर नहीं करते हैं

A.Nagaraja (ऊपर) के निर्णय के बारे में। उक्त निर्णय के अनुपात को इन संशोधन अधिनियमों के माध्यम से दरकिनार करने की कोशिश की जाती है, जो कानून में अस्वीकार्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभिव्यक्ति

" जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपयोग किया गया है, व्यक्ति में संवेदनशील जानवर शामिल हैं और उनकी स्वतंत्रता को वैध बनाकर कम करने की कोशिश की जाती है।

उपरोक्त गोजातीय खेल और इस तरह के वैधता का साधन तीन संशोधन अधिनियम होना अनुचित और मनमाना है, जिससे यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के मानकों को पूरा नहीं करता है। वास्तव में, यह संदर्भ के प्रश्न का चौथा बिंदु है जो हम होंगे

14 , 21 , 48 , 51 - ए (एच) और (जी) जानवरों के लिए एक अधिकार-शासन स्थापित करने के लिए। उनका तर्क है कि भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और मानवतावाद विकसित करने के परिणामस्वरूप

संवेदनशील जानवरों के लिए संबंधित अधिकारों को केवल मनुष्यों के लिए मनोरंजन मूल्य वाली पीड़ा और पीड़ा देने वाली गतिविधियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. दूसरा तर्क यह है कि इन खेलों को नहीं किया जा सकता है

तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है जो उस राज्य के संशोधन अधिनियम की प्रस्तावना में इस प्रकार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु संशोधन अधिनियम की प्रस्तावना में प्रावधान है कि उक्त क़ानून का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और बैलों की देशी नस्लों के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करना है। उक्त अधिनियम ने 1960 के अधिनियम के परिभाषा खंड में [खंड 2 (डी)] जोड़ा और उसी क़ानून की धारा 11 (3) में संशोधन किया, जिसमें उप-खंड (एफ) जोड़ा गया। दो और संशोधन हैं जो सामने आएंगे।

जो तालिका हमने ऊपर दी है, लेकिन वे मुख्य रूप से जल्लीकटू को 1960 के अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से छूट देने के लिए हैं। ए. नागराजा (ऊपर) के फैसले में अन्य बातों के साथ-साथ जल्लीकटू की परंपरा और संस्कृति के मुद्दे पर भी विचार किया गया था:

" 54. पी. सी. ए. अधिनियम, एक कल्याणकारी कानून, हमारे विचार में,

तथाकथित परंपरा और संस्कृति पर छाया डालता है या उसे खत्म कर देता है।

जल्लीकटू और बैलगाड़ी दौड़, जिस तरह से वे

आयोजित किए जाते हैं, तमिल परंपरा या संस्कृति का कोई समर्थन नहीं है।

मान लीजिए, यह काफी समय से प्रचलन में है, हमारे

देखने के लिए, उसी को कल्याणकारी कानून को रास्ता देना चाहिए, जैसे

पी. सी. ए. अधिनियम जिसे लागू करने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या पीड़ा देना और कर्तव्य प्रदान करना।

और पशुओं के प्रभारी व्यक्तियों पर दायित्व। देर से,

कुछ क्षेत्रों में अधिकतम कटाई करने के कुछ प्रयास किए जाते हैं मनुष्यों द्वारा लाभ और जानवरों का शोषण किया जा रहा है।

जबरदस्ती के तरीकों का उपयोग करके और अनावश्यक दर्द देकर

आनंद, मनोरंजन और आनंद के लिए। हमारा एक इतिहास है

समाज में ऐसी बुरी प्रथाओं को दूर करने के लिए, यह मानते हुए कि
इस तरह की प्रथाओं को संस्कृति और परंपरा का समर्थन प्राप्त है, जैसे
टी. एन. आर. जे. अधिनियम में पेश किए जाने की कोशिश की गई। प्रोफेसर सैल्मंड कहते हैं
यह प्रथा उन सिद्धांतों का अवतार है जिनके पास है
राष्ट्रीय विवेक के लिए खुद की प्रशंसा की
न्याय और सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत। इस न्यायालय ने एन.
आदित्यन वी. त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड [(2002) 8 एससीसी
106] (2002) 8 एस. सी. सी. 106 ने अनुच्छेद 25 (1), 26 (ए), 26 (बी), 17,14 और 21
के दायरे की जांच करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी पी.
125 , पैरा 18)
" 18. किसी भी प्रमाण के बावजूद कोई भी प्रथा या उपयोग
पूर्व-संवैधानिक दिनों में उनके अस्तित्व का भारत और हमारा पशु कल्याण बोर्ड नहीं हो
सकता है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

मानवाधिकार, गरिमा, सामाजिक समानता और संसद द्वारा बनाए गए संविधान और कानून के विशिष्ट जनादेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए इसे कानून के स्रोत के रूप में माना जाता है। ऐसा कोई उपयोग नहीं है जो हानिकारक पाया जाए

और देश के कानून के अपमान में या सार्वजनिक नीति या सामाजिक शालीनता के विरोध में माना जा सकता है

देश में अदालतों द्वारा स्वीकार या बरकरार रखा गया।

55. ईशा-उपनिषदों में 1500-600 ईसा पूर्व के रूप में, यह है

निम्नलिखित रूप में घोषित किया गया:

" ब्रह्मांड अपने प्राणियों के साथ भूमि का है। कोई भी प्राणी किसी अन्य से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य को प्रकृति से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने दें।

हमारे विचार से यही देश की संस्कृति और परंपरा है।

विशेष रूप से तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में।

56. पी. सी. ए. अधिनियम को सुरक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया है

पशुओं का कल्याण और स्पष्ट रूप से कुछ शरारतों और सदियों पुरानी प्रथाओं को ठीक करने के लिए, ताकि पर्यावरण केंद्रित सिद्धांतों पर आधारित किसी प्रकार के सुधार को लागू किया जा सके, जिसमें पशुओं के आंतरिक मूल्य और मूल्य को पहचाना जा सके। फिर भी, अधिनियम ने अधिनियम की धारा 28 के तहत एक जानवर को मारते हुए समुदाय की धार्मिक प्रथाओं का ध्यान रखा है।

16. इस आधार पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिए गए हैं कि तमिलनाडु के संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए

प्रस्तावना जल्लीकट्टू के संचालन में उस निर्णय में निर्दिष्ट दोषों को दूर किए बिना निर्णायक न्यायिक राय को अमान्य करने का प्रयास करती है। जहाँ तक कर्नाटक संशोधन अधिनियम का संबंध है, "बैलों की दौड़ या बैलों की गाड़ी की दौड़" और "कंबाला" की परिभाषा खंडों में उन्हें राज्य की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा बताया गया है। महाराष्ट्र अधिनियम में भी बैलगाड़ी दौड़ के स्रोत की

पहचान बैलगाड़ी दौड़ की परिभाषा खंड में उस राज्य के निर्दिष्ट हिस्सों की परंपरा और संस्कृति के रूप में की गई है।

17. इन खेलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों का तर्क यह रहा है कि

कानून ए. नागराजा (उपरोक्त) के फैसले में उल्लिखित दोषों को दूर किए बिना उन प्रावधानों को मान्य करने का प्रयास करते हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अवैध माना गया था। ऐसी परिस्थितियों में, संशोधन अधिनियम [2023] 7 एस. सी. आर. हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के आलोक में वैध विधायी शक्ति के प्रयोग में नहीं माना जाएगा

संवैधानिक प्रावधान और ये अधिनियम रंगीन विधान हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत इस प्रस्ताव के समर्थन में अधिकारी श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्य-बनाम हैं।

ब्रोच बरो नगरपालिका और अन्य [(1969) 2 एस. सी. सी. 283], भुवनेश्वर सिंह और एक अन्य-बनाम-भारत संघ और अन्य

[(1994) 6 एस. सी. सी. 77], इंद्र साहनी-बनाम भारत संघ और अन्य [(2000) 1 एस. सी. सी. 168], अमरेंद्र कुमार महापात्रा और अन्य-बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य [(2014) 4 एस. सी. सी. 583], एम. पी. राज्य बनाम महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड और अन्य [1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 642], डी. सी. वाधवा डी. आर. और अन्य-बनाम बिहार राज्य और अन्य [(1987) 1 एस. सी. सी. 378], श्री श्री के. सी. गजपति नारायण देव-बनाम उड़ीसा राज्य [1954 एस. सी. आर. 1], एस. एस. बोला और अन्य-बनाम बी. डी.

एस. सी. सी. 23], री पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 [(2017) 1 एस. सी. सी. 121], मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य-बनाम-यूनियन ऑफ इंडिया

भारत और अन्य [(1997) 5 एस. सी. सी. 536], एस. टी. सादिक-बनाम-केरल राज्य और अन्य [(2015) 4 एस. सी. सी. 400], ए. आर. अंतुले-बनाम-आर. एस. नायक और दूसरा [(1988) 2 एस. सी. सी. 602] और मेनका गांधी-बनाम-भारत संघ और दूसरा [(1978) 1 एस. सी. सी. 248]। मेनका गांधी (उपरोक्त) के फैसले पर यह तर्क देने के लिए भी भरोसा किया गया था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, कानून के प्रभाव को देखा जाना चाहिए न कि केवल सिद्धांतों और प्रावधानों को।

18. याचिकाकर्ताओं की आनुषंगिक दलीलें यह हैं कि तीनों कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी दिए जाने के बाद, उन्होंने उपरोक्त तीन घटनाओं को वैध बना दिया, लेकिन जिस तरह से उनका संचालन किया जाता है, वह धारा 3,11 (1) (ए) और (एम) के प्रावधानों के विपरीत है जैसा कि ए. नागराजा (उपरोक्त) मामले में किया गया था। इसलिए किया जा रहा प्रयास संशोधन अधिनियम उन आधारों को संबोधित किए बिना एक न्यायिक फैसले को ओवरराइड करने के लिए है जिनके आधार पर इस न्यायालय ने क्रमशः तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में जल्लीकटू और बैलगाड़ी दौड़ को 1960 के अधिनियम का उल्लंघन पाया था। यह विधायी अभ्यास, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है, संवैधानिक योजना के विपरीत है। अधिकारियों ने बताया

इस मुद्दे पर तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य (ऊपर), सरकार के मुख्य सचिव, चेन्नई, तमिलनाडु और भारत और ओ. आर. एस. का पशु कल्याण बोर्ड हैं।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

अन्य-बनाम-पशु कल्याण बोर्ड और दूसरा [(2017) 2 एस. सी. सी. 144] और रूपा अशोक हुर्रा-बनाम-अशोक हुर्रा और दूसरा [(2002) 4 एस. सी. सी. 388]।

एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने जल्लीकटू के प्रदर्शन के तरीके का वर्णन किया। इन खेलों के लिए बैलों की तैयारी आवश्यक है, लेकिन नहीं सीमित, कान काटना/विकृति, पूंछ को मोड़ना, जिसके परिणामस्वरूप फ्रैक्चर और पूंछ की हड्डियों का विस्थापन होता है। यह भी कहा गया कि इन खेलों में भाग लेने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले 95 प्रतिशत बैलों की पूंछ के नीचे और उनके पिछले हिस्से के बड़े हिस्से में मल से मैल हो गई थी। इसके अतिरिक्त, गोजातीय प्रजातियों को घंटों तक संचित कचरे में एक साथ खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटनाओं के स्थानों में से एक पर, पशु कल्याण बोर्ड ने पाया कि "संग्रह क्षेत्र" में, एक चलती यात्री बस के साथ टक्कर के परिणामस्वरूप सिर पर चोट लगने से एक बैल की मौत हो गई। मांसपेशियों की हड्डियों, नसों और रक्त वाहिकाओं को भी चोटें आईं क्योंकि बैलों को पूंछ काटने, टोकने का सामना करना पड़ा।

ए. नागराज (उपरोक्त) के पैराग्राफ 67 में, जैसा कि उपरोक्त पत्रिका में बताया गया है, अनुच्छेद 51-ए (जी) और (एच) में निहित मौलिक कर्तव्यों के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 पर पर्याप्त जोर दिया गया है। उस आधार पर, तर्क दिया गया था कि संवेदनशील प्रजातियों को संविधान के अनुच्छेद 21 का सुरक्षात्मक छत्र दिया जाना चाहिए। हम इस फैसले में उस पहलू पर बाद में चर्चा करेंगे। वास्तव में, तर्क में इस रेखा को इस आधार पर आगे बढ़ाया गया है कि संवेदनशील जानवरों को बिना किसी क्रूरता के गरिमा के साथ जीवन जीने का प्राकृतिक अधिकार है। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने की दूसरी पंक्ति यह है कि तीन संशोधन अधिनियमों द्वारा निपटा गया विषय सूची III से संबंधित नहीं है। इस संदर्भ में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया उनमें बिहार राज्य और अन्य-बनाम भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य (1997) 8 एस. सी. सी. 360), होव्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (ऊपर), एम. करुणानिधि-बनाम भारत संघ और अन्य (1979) 3 एस. सी. सी. 431 और के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य-बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 9 एस. सी. सी. 1 शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क रहा है कि 1960 के अधिनियम के सुरक्षात्मक तंत्र से उन्हें बाहर निकालने के लिए अपवाद बनाना किसी भी बोधगम्य मानदंड पर आधारित नहीं था, बल्कि एक मनमाना चयन पर आधारित था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और एक अन्य-पुष्पेंद्र कुमार और अन्य [(1998) 5 एस. सी. सी. 192], हरबिलास राय बंसल-बनाम-राज्य पर भरोसा किया।

पंजाब और एक अन्य [(1996) 1 एस. सी. सी. 1], गुजरात राज्य और एक अन्य-रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य [(1983) 2 एस. सी. सी. 33] और शायरा बानो-बनाम-भारत संघ और अन्य [(2017) 9 एस. सी. सी. 1] इस तर्क को पुष्ट करने के लिए।

21. हम पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए इस तर्क पर विचार करेंगे कि जानवरों के अधिकार हैं। वास्तव में, हमारे सामने जो आग्रह किया गया है वह यह है कि जानवरों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कानूनी अधिकार भी हैं। यह.

ए. नागराजा (ऊपर) मामले में पैराग्राफ 66 (रिपोर्ट में) में अभिनिर्धारित किया गया है:

" 66. धारा 3,11 आदि के तहत जानवरों को गारंटीकृत अधिकार केवल वैधानिक अधिकार हैं। इन्हें मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया जाना चाहिए, जैसा कि दुनिया भर के कुछ देशों ने किया है, ताकि उनके सम्मान और गरिमा को सुरक्षित किया जा सके। पशुओं को गारंटीकृत अधिकार और स्वतंत्रताएँ धारा 3 और 11 को संविधान के अनुच्छेद 51-ए (जी) और (एच) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो पशु अधिकारों का मैग्रा कार्टा है।

22. पशु अधिकारों की अवधारणा को याचिकाकर्ताओं द्वारा दोहरी नींव पर आधारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि हमारा न्यायशास्त्र केवल मनुष्यों के अधिकारों को मान्यता नहीं देता है और नारायण दत्त भट्ट-बनाम-भारत संघ [(2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन उत्तर 645] को यह प्रदर्शित करने के लिए उद्धृत किया गया है कि जानवर एक कानूनी व्यक्ति के समान अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक अलग व्यक्तित्व वाले कानूनी निकाय हैं। अधिकार विकसित करने की इस अवधारणा पर जोर देने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि हमारी कानूनी प्रणाली प्रकृति में जैविक और गतिशील दोनों है और समय बीतने के साथ कानून को बदलना होगा। (सौरभ चौधरी और अन्य-बनाम भारत संघ और अन्य [(2003) 11 एस. सी. सी. 146], आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य-बनाम-एल. वी. ए. दीक्षितुलु और

अन्य [(1979) 2 एस. सी. सी. 34], वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य [(1990) 3 एस. सी. सी. 87] और अशोक कुमार गुप्ता और एक अन्य बनाम।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, [(1997) 5 एस. सी. सी. 201]]। इस संबंध में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण अर्जेन्टीना हैं, जो भारत और ओ. आर. एस. का पशु कल्याण बोर्ड है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

मामला सं. पी.-72.254/2015 उद्धृत किया गया है। इसके अलावा, हमारा ध्यान पशु कल्याण (भावना) अधिनियम, 2022 की ओर आकर्षित किया गया है, जो यूनाइटेड किंगडम में जानवरों को संवेदनशील प्राणी के रूप में मान्यता देता है। यह भी कहा गया है कि संवेदनशील जानवरों के अधिकारों को इक्वाडोर के संवैधानिक न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है। उत्तरदाताओं की ओर से, पशु अधिकारों के अस्तित्व के तथ्य को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन इस बिंदु पर उत्तरदाताओं का रुख यह है कि वे अधिकार जो संवेदनशील पशु हैं।

विधायी प्रावधानों के अधीन होना चाहिए और इस प्रकृति के मामले में, जिसका न केवल हमारे न्यायशास्त्र पर बल्कि हमारे समाज पर भी मौलिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, विधायिका यह निर्धारित करने के लिए एक बेहतर न्यायाधीश होगी कि ऐसे अधिकारों की प्रकृति, रूपरेखा और सीमाएँ क्या होंगी। इस तर्क का प्रभाव यह है कि संवेदनशील के अधिकार

पशुओं को कानून द्वारा मान्यता दी जा सकती है लेकिन ऐसे अधिकार उस प्रकृति के होंगे जो उचित कानून बनाने वाले निकाय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं न कि न्यायिक व्याख्या द्वारा।

23. पशुओं के अधिकारों को मान्यता देने के मामले में, विधायी दृष्टिकोण हमें दो गुना प्रतीत होता है। बेशक, जानवर अपने अधिकार की मांग उसी तरह नहीं कर सकते जैसे मनुष्य कानून लाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के हिस्से के रूप में कानून निर्माताओं ने जानवरों के साथ व्यवहार करने के तरीके पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाकर जानवरों के अधिकारों को मान्यता दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के आधार पर जो अनिवार्य रूप से कार्य करता है

कानून निर्माताओं के लिए एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश के रूप में, एक दोतरफा मार्ग तैयार किया गया है। पहला, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का राज्य पर कर्तव्य थोपना है। दूसरा नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने के लिए राज्य के कर्तव्य पर जोर देना और गायों और बछड़ों और अन्य दूध देने वाले और भार वाले मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाना है। मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय के तहत, एक नागरिक को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की आवश्यकता है, जिसमें जीवित प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हम इन दो संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में संशोधन अधिनियमों की व्याख्या करें और चाहते हैं कि हम उन्हें होने वाले दर्द और पीड़ा को संज्ञान में लेते हुए तीन कानूनों की जांच करें, ताकि गोजातीय प्रजातियां मनुष्यों द्वारा आयोजित उपरोक्त खेलों में भाग लेने के लिए मजबूर न हों। याचिकाकर्ताओं का यह मत है कि जहां कहीं भी 1960 का अधिनियम मनुष्यों को जानवरों के संबंध में कुछ कार्य करने का आदेश देता है, दायित्वों को न्यायिक रूप से जानवरों के अधिकारों में परिवर्तित किया जाना चाहिए कि वे ऐसे निषिद्ध कृत्यों के अधीन न हों। इस संबंध में तर्क की रेखा [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया है कि जिस तरह से इन खेल गतिविधियों को किया जाता है, वह सीधे 1960 के अधिनियम के उपरोक्त दो प्रावधानों का उल्लंघन करता है। केवल इन तीन संशोधन अधिनियमों को लागू करके, इन आयोजनों के आयोजकों को 1960 के अधिनियम में निर्दिष्ट अपराधों से नहीं बचाया जा सकता है, जिस पहलू पर ए. नागराजा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में विस्तार से विचार किया गया है।

24. जानवरों को मौलिक अधिकार देने के सवाल पर हमारे पास कोई मिसाल नहीं है। ए. नागराजा (ऊपर) के मामले में खंड पीठ ने यह भी निर्धारित नहीं किया है कि जानवरों को मौलिक अधिकार हैं। इस प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए उपलब्ध एकमात्र साधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में तर्कसंगतता के आधार पर तीन संशोधन अधिनियमों की व्याख्या करना है। जबकि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा एक नागरिक के विपरीत व्यक्ति को प्रदान की गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 में मामला है, हमें नहीं लगता कि बैल को उक्त संरक्षित तंत्र के भीतर लाने के लिए न्यायिक दुस्साहस का साहस करना हमारे लिए विवेकपूर्ण होगा। हमें इस बात पर संदेह है कि एक आवारा बैल को उसकी इच्छा के खिलाफ सड़क से हिरासत में रखने से बंदी प्रत्यक्षीकरण के संवैधानिक रिट को जन्म मिल सकता है या नहीं। ए. नागराजा (ऊपर) के फैसले में, जानवरों के वैधानिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के दायरे में बढ़ाने का सवाल सलाहकार स्तर पर छोड़ दिया गया है या न्यायिक सुझाव के रूप में तैयार किया गया है। हम इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और इस कवायद को उपयुक्त विधायी निकाय द्वारा विचार करने के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि संविधान के अनुच्छेद 14 को किसी भी जानवर द्वारा एक व्यक्ति के रूप में लागू किया जा सकता है। जबकि हम एक पशु कल्याण कानून के प्रावधानों का परीक्षण कर सकते हैं, वह एक इंसान या एक न्यायिक व्यक्ति के कहने पर होगा जो पशु कल्याण के कारण का समर्थन कर सकता है।

25. इसके बाद हम अधिकारियों, अर्थात् संघ, तीन राज्यों और पशु कल्याण बोर्ड (अपने बदले हुए रुख में) के इस तर्क का परीक्षण करेंगे कि गोजातीय खेल देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं।

संबंधित राज्य। हम पहले ही तीन संशोधन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर चुके हैं जो इस आशय की अभिव्यक्ति करते हैं। 26. आम तौर पर, क्या कोई विशेष प्रथा या घटना संस्कृति या परंपरा का हिस्सा है, यह किसी विशेष समुदाय या भौगोलिक क्षेत्र की प्रथा और उपयोग द्वारा तय किया जाता है, जिसका अनुवाद किसी विशेष समुदाय या भौगोलिक क्षेत्र में किया जा सकता है।

उपयुक्त विधानमंडल द्वारा अधिनियमन। लेकिन यहाँ इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा विषय खेलों को जारी रखना केंद्रीय क़ानून का उल्लंघन पाया गया है और ये तीन संशोधन अधिनियम पहले की स्थिति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। यह याचिकाकर्ताओं का तर्क है।

भारत और हमारा पशु कल्याण बोर्ड। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

27. इस प्रश्न पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, साक्ष्य पर किसी प्रकार का परीक्षण आवश्यक होता। यह तय करना भी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि क्या कोई विशेष घटना या गतिविधि या अनुष्ठान किसी समुदाय या क्षेत्र की संस्कृति या परंपरा का निर्माण करता है। लेकिन अगर लंबे समय तक परंपरा कानून के खिलाफ जाती है, कानून अदालतों को स्पष्ट रूप से कानून को लागू करना होगा। हालाँकि, पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील,

उन्होंने अपने-अपने रुख को सही ठहराने के लिए विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक साहित्य का हवाला दिया है। जनहित याचिकाओं में, इस न्यायालय ने कुछ सामाजिक या आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए उचित परीक्षण पर जोर दिए बिना इस प्रकृति के विषयों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रथा विकसित की है।

या सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि प्रासंगिक समय पर जब ए. नागराजा (उपरोक्त) के मामले में निर्णय दिया गया था, जिस तरह से जल्लीकट्टू का प्रदर्शन किया गया था, वह 1960 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन था और इसलिए इस तरह के खेलों का आयोजन करना अस्वीकार्य था। 28. लेकिन कानून की वह स्थिति अब बदल गई है और संशोधन अधिनियमों ने इन आयोजनों के संचालन के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। यह एक

तथ्य यह है कि संशोधन अधिनियम स्वयं उपरोक्त तीन गोजातीय खेलों को उनके संबंधित नामों से शामिल करके उन्हें वैध बनाने का प्रयास करते हैं और स्वयं कानून का निकाय किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है जिसके द्वारा इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। यदि यह स्थिति होती तो ये संशोधन अधिनियम एस. एस. बोला और अन्य (ऊपर), तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य (ऊपर), मदन मोहन पाठक (ऊपर), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात के खिलाफ होते।

कर्नाटक ने सख्त नियामक निर्धारित करते हुए वैधानिक अधिसूचना जारी की है। इन खेलों के संचालन के लिए उपाय। ये नियम खेल या आयोजनों के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें बैल दौड़ और बैल संग्रह क्षेत्र दोनों की स्थापना, दर्शकों को सीधे बैल के संपर्क में आने से अलग करने वाली दीर्घाएं शामिल हैं। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम चाहते हैं कि हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का विरोध करने के लिए कानूनों और नियमों को एक साथ पढ़ें कि संशोधन अधिनियम ए. नागराजा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा बताए गए दोषों को सुधारने या दूर किए बिना केवल अपने-अपने राज्यों के लिए मुख्य कानून में उल्लंघन करने वाले खेलों को फिर से शामिल करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य-बनाम बाबू राम उपाध्याय [(1961) 2 एस. सी. आर. 679] के मामले में, यह अन्य बातों के साथ-साथ देखा गया कि निर्माण का मूल सिद्धांत यह था कि कानून के तहत बनाए गए नियमों को इसके एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए जैसे कि वे मूल अधिनियम में निहित थे। पीयरलेस के मामले में

जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य-बनाम भारतीय रिजर्व बैंक [(1992) 2 एस. सी. सी. 343], यह आयोजित किया गया था:

" 52. यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय [(1961) 2 एससीआर 679: एआईआर 1961 एससी 751: (1961) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 773] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक कानून के तहत बनाए गए नियमों को सभी के लिए माना जाना चाहिए।

निर्माण या दायित्वों के उद्देश्य, जैसे कि वे उस अधिनियम में थे और उसी प्रभाव के हैं जैसे कि वे अधिनियम में निहित थे और निर्माण या दायित्वों के सभी उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से नोटिस किए जाने हैं। वैधानिक नियम

इसका वर्णन या तुलना प्रशासनिक निर्देशों के साथ नहीं की जा सकती है। डी. के. वी. प्रसाद राव बनाम एपी की सरकार [ए. आई. आर 1984 ए. पी. 75: (1983) 2 आन्ध्र डब्ल्यू. आर. 344] एक ही दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था। इसलिए, निर्देशों को शामिल किया जाता है और वे इसका हिस्सा बन जाते हैं

स्वयं अधिनियम से। उन्हें कानून के समान सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए। वैधानिक धारणा है कि

विधायिका ने इसके प्रत्येक भाग को एक उद्देश्य के लिए अंतःस्थापित किया और विधायी इरादे को प्रभावी बनाया जाना चाहिए,

विवादित निर्देशों पर लागू होता है।

29. तमिलनाडु संशोधन अधिनियम में इस आशय की शर्त है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन जल्लीकट्टू के संचालन की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 38 बी राज्य को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप। ये दोनों कानून अपने-अपने राज्यों में 1960 के अधिनियम का हिस्सा बन गए हैं

और विशेष रूप से राज्यों को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं और नियम बनाए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, हमारे

राय यह है कि इन नियमों को उनकी उचित व्याख्या के लिए संशोधन अधिनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

जहाँ तक कर्नाटक संशोधन का संबंध है, भारत और भारत का पशु कल्याण बोर्ड। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

अधिनियम का संबंध है, संशोधन के बाद मुख्य अधिनियम में धारा 3 (2) को लागू करने के आधार पर कंबाला के संचालन में दो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये स्थितियाँ अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकती हैं जो

कंबाला का संचालन करने वाले पशुओं के प्रभारी व्यक्ति द्वारा पशुओं को ऐसा कराया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसी प्रथा बनाई जाएगी। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के संशोधन अधिनियमों को पढ़ते समय हमने जो समानता व्यक्त की है, उसी समानता के बाद, हमारी राय में कर्नाटक राज्य द्वारा जारी अधिसूचना को नियम के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे संविधि के अभिन्न अंग के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि संशोधित किया गया है। इन नियमों और अधिसूचना को उनके वास्तविक दायरे की सराहना करने के लिए संशोधन अधिनियमों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के इस दावे की जांच करना कि उक्त नियमों और अधिसूचना से अलग विश्लेषण किए गए संशोधन अधिनियम ए. नागराजा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निष्कर्षों के विपरीत होंगे।

30. हमारी राय में, तीन राज्यों के संशोधन अधिनियमों द्वारा शुरू की गई अभिव्यक्तियाँ जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़

जिस तरीके से उनका अभ्यास या प्रदर्शन किया जाता था, उसमें काफी बदलाव आया है और ए. नागराज (उपरोक्त) निर्णय दिए जाने के समय जो तथ्यात्मक स्थितियाँ प्रचलित थीं, उनकी तुलना वर्तमान स्थिति से नहीं की जा सकती है। हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि बदली हुई परिस्थितियों में कोई दर्द या पीड़ा नहीं होगी।

बैलों पर इन खेलों को पकड़ते समय। लेकिन हम संतुष्ट हैं कि दर्द देने वाली प्रथाओं का बड़ा हिस्सा, जैसा कि वे संशोधन से पहले की अवधि में इन तीन खेलों के प्रदर्शन के तरीके में प्रचलित थे, इन वैधानिक उपकरणों की शुरुआत से काफी हद तक कमजोर हो गए हैं। तर्क दिया गया कि वास्तव में इन कल्याणकारी उपायों का पालन नहीं किया जा सकता है और जो व्यवस्था प्रचलित थी वह जारी रह सकती है। हालाँकि, हम अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग इस धारणा पर नहीं कर सकते कि किसी कानून को उसके दुरुपयोग या दुरुपयोग की आशंका पर निरस्त किया जाना चाहिए।

अवज्ञा। तीनों गोजातीय खेल, संशोधन के बाद, अपने प्रदर्शन और अभ्यास में अलग-अलग चरित्र धारण करते हैं और इन कारणों से हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि संशोधन अधिनियम केवल न्यायिक निर्णय को ओवरराइड करने के लिए कॉस्मेटिक परिवर्तन के साथ एक रंगीन कानून था। एक बार जब हम संशोधित कानूनों को पढ़ते हैं संबंधित नियमों या अधिसूचना के साथ, हम उन्हें केंद्रीय कानून का अतिक्रमण करते हुए नहीं पाते हैं। उत्तरदाताओं ने अपने रुख का बचाव करने के लिए अधिकारियों के एक बड़े निकाय का हवाला दिया है कि ये रंगीन

कानून के मामले नहीं हैं, लेकिन हम इन सभी [2023] 7 एस. सी. आर. को संदर्भित करना आवश्यक नहीं मानते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तिगत रूप से निर्णय जैसा कि हम इस क्षेत्र को कवर करने वाले विभिन्न वैधानिक उपकरणों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

31. क्या संशोधन अधिनियमों को मनमाना होने के कारण निरस्त किया जा सकता है? ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस आधार पर कानूनों को अमान्य कर दिया गया है। जहाँ तक वर्तमान का विषय है विवाद का संबंध है, बैल एक अलग प्रजाति बनाते हैं जिसे संदर्भित किया जाता है

घोड़ों के विपरीत ड्राफ्ट या पैक जानवरों के रूप में, जो दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि बैलों में घोड़े की तरह दौड़ने की प्राकृतिक क्षमता की कमी है, इसलिए जो विषय-खेल मौसमी रूप से आयोजित किए जाते हैं, उन्हें 1960 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत माना जाएगा। वास्तव में, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि बैलों की इन शैलियों को विशेष रूप से पाला जाता है और उनमें दौड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है। इस मुद्दे पर विपरीत विचार हैं। लेकिन हमारी राय में, इन बैल खेलों के संबंध में विधायिका द्वारा कोई तर्कहीन वर्गीकरण नहीं किया गया है ताकि उस शरारत को आकर्षित किया जा सके जिसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 रोकना चाहता है। विधायी अधिनियम की वैधता को अनुचित होने के आधार पर भी अस्वीकार किया जा सकता है। यहाँ अनुचितता का तत्व यह है कि यहाँ शामिल गोजातीय प्रजातियों के अधीन किया जा रहा है

सामान उपलब्ध हैं, तो बैलों को ऐसी गतिविधियों को करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए-जो स्पष्ट रूप से अनैच्छिक हैं और इन संवेदनशील गोजातीय प्रजातियों को दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है? प्रदर्शन करने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत घुड़दौड़ की अनुमति है। घोड़ा भी एक संवेदनशील जानवर है। लेकिन तथ्य यह है कि उन्हें दौड़ में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने से घोड़ों को कुछ दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यहाँ, ध्यान दर्द और पीड़ा पैदा करने से बदलकर दर्द और पीड़ा की डिग्री की ओर जाता है, जिसके लिए एक संवेदनशील जानवर को मानव के लाभ के लिए कुछ गतिविधियों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राणियों। इसी तरह, शाकाहार के समर्थक तर्क दे सकते हैं कि जानवरों को मारना आवश्यक नहीं है क्योंकि मनुष्य पशु प्रोटीन के बिना जीवित रह सकते हैं। हमारी राय में, हमें इसे भारत और हमारे पशु कल्याण बोर्ड के रूप में नहीं लेना चाहिए।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

संतुलन अभ्यास जिसका हमारे न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इस तरह की कवायद को विधायिका पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

पर।

32. अब हम याचिकाकर्ताओं के मामले की ओर रुख करेंगे जो "पीठ के सिद्धांत" का आह्वान करके राज्य संशोधनों की वैधता पर जोर देते हैं और

पदार्थ "। उस हिसाब से, उनका समर्पण दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, यह आग्रह किया गया है कि संशोधन के बाद भी, इन खेलों के प्रदर्शन से भाग लेने वाले बैलों को दर्द और चोट लगना जारी रहे और दूसरा, इस न्यायालय द्वारा ए. नागराजा (ऊपर) में पाया गया कि ये खेल 1960 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जब तीन राज्य संशोधन लागू नहीं किए गए थे। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम किसी भी तरह से उपचारात्मक उपाय प्रदान नहीं करते हैं जो तीनों खेलों को कानूनी विफलता से ठीक कर सकते थे जैसा कि उक्त प्रावधानों में प्रतिपादित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये अधिनियम 1960 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमत गतिविधियों के रूप में शुरू करने का प्रयास करते हैं। भले ही कुछ खेलों को उनके नाम से अनुमेय गतिविधि के दायरे में शामिल किया गया हो, लेकिन 1960 के अधिनियम की धारा 3,11 (1) (ए) और (एम) के प्रावधानों को अनुचित नहीं माना जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि

जल्लीकट्टू का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 के दायरे में नहीं आता है और इसलिए राज्य विधानसभाओं में संशोधन अधिनियमों को लागू करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव था। याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि राष्ट्रपति की मंजूरी से उक्त अक्षमता ठीक नहीं होगी। हम कोई त्रुटि नहीं पाए हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया।

33. "पीठ और पदार्थ के सिद्धांत" की व्याख्या जी. पी. सिंह के प्रसिद्ध ग्रंथ "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत" में की गई है। हम उस पाठ के 14वें संस्करण के उद्धरण को नीचे उद्धृत करते हैं:

" सवाल यह है कि क्या विधानमंडल ने खुद को अपने दायरे में रखा है

इसे सौंपी गई अधिकारिता या उस पर अतिक्रमण किया गया है

निषिद्ध फाइल का निर्धारण कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र या सार और सार का पता लगाकर किया जाता है जो इसके परिणामी प्रभावों से अलग हो सकता है। यदि कानून का सार और सार इसके भीतर एक प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है

किसी भी आनुषंगिक विधानमंडल की अनुमत अधिकारिता

प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र में अतिक्रमण की उपेक्षा की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधियों की संवैधानिकता का अनुमान और इसलिए, यह निर्धारित करने से पहले कि क्या दोनों के बीच कोई प्रतिकूलता है

केंद्रीय अधिनियम और एक राज्य अधिनियम, इसे यह निर्धारित करना होता है कि क्या दोनों अधिनियम सूची III में एक ही प्रविष्टि से संबंधित हैं, और क्या दोनों के बीच एक 'प्रत्यक्ष' और 'अपरिवर्तनीय' संघर्ष है, लागू होता है 'पीठ और पदार्थ' का सिद्धांत।

याचिकाकर्ताओं ने इस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले कई अधिकारियों पर भरोसा किया है। ये हैं राजस्थान राज्य बनाम श्री जी. चावला और डॉ.

पोहुमल [(1959) सप्लीमेंट (1) एस. सी. आर. 904], ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड और अन्य-बनाम यू. पी. राज्य और अन्य [(1980) 4 एस. सी. सी. 136], फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आदि-बनाम भारत संघ और अन्य [(1989) 3 एस. सी. सी. 634], ए. पी. राज्य और अन्य-बनाम मैकडॉवेल एंड Co. and अन्य [(1996) 3 एस. सी. सी. 709], स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी.-बनाम-केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य [(2004) 10 एस. सी. सी. 201] और होचस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड [(ऊपर)।

34. सबसे पहले हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या इन गोजातीय खेलों का आयोजन समवर्ती सूची की वस्तु 17 से संबंधित है। इसमें कहा गया है:

" पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम "।

आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में

उत्तरदाताओं, इस तर्क के समर्थन में कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है। हम पहले ही जो दृष्टिकोण अपना चुके हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हम इन सभी निर्णयों को दोहराना आवश्यक नहीं समझते हैं।

35. इसके बाद यह सवाल आता है कि क्या उक्त संशोधनों के बाद भी, जल्लीकट्टू और अन्य दो गतिविधियों को तीन विधायी निकायों की विधायी क्षमता से परे माना जा सकता है। हमारे पास है।

पहले से ही यह माना जा चुका है कि तीन संशोधन अधिनियमों को परिणामी नियमों या अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए। हमारे विचार में, ये नियम, जिन्हें एक बार अधिनियमों के हिस्से के रूप में माना जाता था, इन खेलों के संचालन के तरीके को बदल देते हैं और एक बार इन प्रावधानों को लागू करने के बाद, शरारत ने भारत और उसके पशु कल्याण बोर्ड की मांग की।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

1960 के अधिनियम के उपरोक्त दो प्रावधानों (यानी धारा 3 और 11 (1) (ए) और (एम)) द्वारा सुधार किया जाना अब आकर्षित नहीं होगा। इस प्रकार, यह तर्क कि संशोधन अधिनियम अमान्य हैं क्योंकि वे चाहते हैं ए. नागराजा (उपर्युक्त) के निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उस निर्णय के आधार को उस प्रकृति और तरीके को ध्यान में रखते हुए बदला गया है जिसमें उल्लंघनकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था।

36. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बदली हुई प्रक्रिया के बाद भी

तीन वैधानिक उपकरणों द्वारा विचार किए जाने पर, इन खेलों में बैलों की भागीदारी में अनैच्छिकता के साथ-साथ दर्द और पीड़ा के कुछ तत्व शामिल हैं। टी. एन. के मामलों में

गोडावर्मन तिरुमुलपद-बनाम-भारत संघ और अन्य [(2012) 4 एस. सी. सी. 362], पर्यावरण कानून केंद्र, वर्ल्ड वाइड फंड

भारत बनाम भारत संघ और अन्य [(2013) 8 एस. सी. सी. 234] और एन. आर. नायर और अन्य-बनाम भारत संघ और अन्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 84], व्यापक रूप से यह माना गया है कि जानवरों को क्रूरता के बिना एक सम्मानजनक जीवन जीने का प्राकृतिक कानून में अंतर्निहित अधिकार है और इस सिद्धांत को जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को प्रतिबंधित करने के लिए विस्तारित करने का प्रयास किया गया है। एन. आर. नायर (उपरोक्त) के मामले में, यह माना गया था कि जानवरों में दर्द और पीड़ा को सहन करने की क्षमता होती है और उन्हें अपने स्थान और शरीर पर प्रतिबंधों और शारीरिक असुविधा के अन्य रूपों से डर लगता है। लेकिन हमें इन अधिकारियों को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए मनुष्यों के दायित्व को स्वीकार करते हैं कि जानवरों को दर्द और चोट न लगे। हालाँकि, हमारा अधिकार क्षेत्र जानवरों को किसी भी तरह के दर्द और पीड़ा से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है। 1960 के अधिनियम का व्यापक विषय यह है कि पशुओं को अनावश्यक पीड़ा और पीड़ा से बचाया जाना चाहिए। इस पहलू पर विचार किया गया है

ए. नागराजा (ऊपर) का मामला। यह दृष्टिकोण 1960 के अधिनियम की धारा 11 के सरल अध्ययन से ही स्पष्ट होगा, यहां तक कि तीन संशोधनों से पहले भी जहां विधायिका ने एक

किसी व्यक्ति द्वारा पशु के स्वामित्व की अवधारणा और उपरोक्त खेलों में इन पशुओं को नियुक्त करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार को बाधित किए बिना व्यायाम को संतुलित करना। हम इस फैसले में पहले ही इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। 37. जब हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि संविधान जानवरों के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है, तो हमें अनुच्छेद 48, 51-ए (जी) और (एच) के संवैधानिक प्रावधानों के साथ 1960 के अधिनियम के

प्रावधानों के खिलाफ तीन कानूनों की वैधता का परीक्षण करना होगा। तीनों कानूनों को मनमानेपन की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा, जिसमें [2023] 7 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. पी. रोयप्पा बनाम राज्य के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद यह हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र की नींव बन गया। तमिलनाडु और एक अन्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 3], अजय हासिया और अन्य-बनाम-खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य [(1981) 1 एस. सी. सी. 722] और जोसेफ शाइन-बनाम-भारत संघ [(2018) 2 एस. सी. सी. 189]।

38. तथ्यात्मक तर्क दिए गए हैं कि विशेष रूप से बैलगाड़ी दौड़ के अभ्यास पर प्रतिबंध का परिणाम अंतिम हो सकता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 15 से संबंधित है। लेकिन चुनौती की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सार और सार में, संशोधन अधिनियम जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के प्रश्न का समाधान करना चाहते हैं। द टेनर ऑफ द महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम और इसकी प्रस्तावना उस व्याख्या की ओर इशारा करते हैं।

और संशोधनों का उद्देश्य मुख्य रूप से समवर्ती सूची की वस्तु 17 से संबंधित है। इसलिए, हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम पशुओं के संरक्षण, संरक्षण और सुधार और पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए बनाया गया है। जहां तक यह तर्क है कि किसानों और बैलगाड़ी दौड़ से जुड़े लोगों की आजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है, अगर रिट याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हम उपरोक्त संशोधन कानून को निरस्त करके प्रतिबंध लगा दें, तो हमें इस तर्क पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस निर्णय में इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या 1960 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं, जैसा कि ए. नागराज (उपरोक्त) के मामले में माना गया था, जो तीन संशोधन कानूनों से पहले तय किया गया था। उस राज्य के लोगों की आजीविका पर उक्त प्रतिबंध के प्रभाव का 2022 के आई. ए. No.170346 में समर्थन किया गया है। यदि हम यह मान लेते कि ये गोजातीय खेल 1960 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो पकड़ा गया अभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) में निहित उचित प्रतिबंध खंड के भीतर आता। ऐसी स्थिति में, उस संबंध में एक कानून बनाया गया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर चुनौती के संबंध में भी संरक्षित किया जाएगा।

39. ए. नागराज (ऊपर) के निर्णय में, इस न्यायालय की खंड पीठ ने याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच करते हुए कहा कि

जल्लीकट्टू न केवल बैलों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरनाक है और इस तरह की घटनाओं के दौरान कई प्रतिभागियों और दर्शकों को चोटें लगी हैं।

एक प्राणी चिंतित है, उनकी चोटें सामान्य कानून में "स्वैच्छिक गैर फिट इंजुरिया" के रूप में जाने जाने वाले अपकृत्य को आकर्षित करेंगी। जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसके आधार पर हम निम्नलिखित शब्दों में हमें संदर्भित किए गए शब्दों का जवाब देते हैं:

तमिलनाडु संशोधन अधिनियम कोई रंगीन कानून नहीं है। यह सार और सार में, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 से संबंधित है। यह संबंधित खेलों में जानवरों के प्रति क्रूरता को कम करता है और

एक बार संशोधन अधिनियम, उनके नियमों के साथ और

कम से कम पिछली कुछ शताब्दियों से तमिलनाडु राज्य में। इस आयोजन में अनिवार्य रूप से एक बैल शामिल होता है जिसे एक अखाड़े में मुक्त कर दिया जाता है और मानव प्रतिभागियों को "खेल" में स्कोर करने के लिए कूबड़ को पकड़ना होता है। लेकिन यह तमिल संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है या नहीं, इसके लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की आवश्यकता है। अधिक विस्तार से सामाजिक विश्लेषण, जो हमारी राय में, एक ऐसी कवायद है जिसे न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह सवाल कि क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम किसी विशेष राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए है

बहस योग्य मुद्दा जिसे लोक सभा में समाप्त किया जाना है। यह न्यायिक जांच का हिस्सा नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से विचाराधीन गतिविधि और याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं दोनों द्वारा हमारे सामने उद्धृत ग्रंथों के रूप में सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न को रिट कार्यवाही में निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तब से

विधायी अभ्यास पहले ही किया जा चुका है और

जल्लीकट्टू को तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा पाया गया है, हम इस दृष्टिकोण को बाधित नहीं करेंगे

विधायिका। हम मामले में परिलक्षित दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं।

ए. नागराजा ने कहा कि जल्लीकट्टू का प्रदर्शन तमिलनाडु राज्य के लोगों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा नहीं है। हमें नहीं लगता कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी। संशोधन अधिनियम की प्रस्तावना में जल्लीकट्टू को [2023] 7 एस. सी. आर. बताया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

तमिलनाडु की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। ए. नागराजा (ऊपर) के मामले में, डिवीजन बेंच ने सांस्कृतिक पाया

जिस तरीके से बैलों को दर्द और पीड़ा दी जाती है, उसका उल्लेख करते हुए खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह की गतिविधियों ने 1960 के अधिनियम की धारा 3 और 11 (1) (ए) और (एम) को आहत किया है। भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि विधायिका सबसे उपयुक्त शाखा है यह निर्धारित करने के लिए राज्य कि क्या विशेष पशु-खेल किसी क्षेत्र या समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हैं, या नहीं, यदि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम या परंपरा कानून का उल्लंघन करती है, तो दंड

इसका परिणाम सामने आएगा। इस तरह की गतिविधियों को किसी राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा होने के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

1960 के अधिनियम की धारा 3 और 11 (1) (ए) और (एम) का प्रतिबंध इसका अभ्यास करने के तरीके के कारण था। द. नियमों के साथ पढ़ा गया संशोधन अधिनियम काफी हद तक

दर्द और पीड़ा को कम करें और पारंपरिक खेलों को जारी रखें। संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, हमें नहीं लगता कि राज्य की कार्रवाई में कोई त्रुटि है। जल्लीकट्टू "के रूप में गोजातीय खेलों को पहले के अभ्यास के तरीके से अलग करना होगा और

तमिलनाडु नियमों के अनुसार खेलों का आयोजन करने की अनुमति होगी। तमिलनाडु संशोधन अधिनियम बैल की देशी नस्लों के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सारहीन नहीं है। उक्त अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 से भी संबंधित नहीं है। उक्त का आकस्मिक प्रभाव

संशोधन अधिनियम एक विशेष प्रकार के बैलों की नस्ल पर पड़ सकता है और कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार और सार में यह अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 से संबंधित है।

इस सवाल का हमारा जवाब नकारात्मक है। हमारी राय में, तमिलनाडु संशोधन अधिनियम इसके विपरीत नहीं है

भारत। उस ओर से बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा गया तमिलनाडु संशोधन अधिनियम भारत और भारत के पशु कल्याण बोर्ड के अनुपात के सीधे विपरीत नहीं है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।]

ए. नागराजा (ऊपर) के मामले में निर्णय और इस न्यायालय का निर्णय 16 नवंबर 2016 को दिया गया
ए. नागराजा (उपरोक्त) निर्णय की समीक्षा के लिए याचिका को खारिज करते हुए क्योंकि हमारी राय है कि दोष इंगित करते हैं

उपरोक्त में दो निर्णयों को राज्य संशोधन अधिनियम द्वारा उस में बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा गया है।

की ओर से।

41. तमिलनाडु संशोधन अधिनियम पर हमारा निर्णय महाराष्ट्र और कर्नाटक संशोधन अधिनियमों का भी मार्गदर्शन करेगा और हम

तीनों संशोधन अधिनियमों को वैध विधान पाएँ।

निर्देश दें कि जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी कानून के नियमों/अधिसूचनाओं के साथ संशोधित कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। 43. उपरोक्त शर्तों में हस्तक्षेप के लिए सभी आई. ए. की अनुमति है। जैसा कि हमने संदर्भित प्रश्नों का उत्तर दिया है, हमें लगता है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है

रिट याचिकाओं को लंबित रखने में कार्य किया जाएगा। सभी रिट याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। अपील और हस्तांतरित मामले का भी उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा।

44. अन्य लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

45. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

